

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वौलूम-1 तारीख, शिमला-02, 22 जुलाई 2026.

आदेश

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) की जुताई (खेती) करने हेतु केवल औद्योगिक प्रयोजन अर्थात्, प्रसंस्करण, निष्कर्षण और उत्पाद विनिर्माण हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ,— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 है।
(2) इस आदेश का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।
(3) यह आदेश राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं,— (1) इन आदेश में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
(क) "अधिनियम" से, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है;
(ख) "प्राधिकृत प्रयोगशाला" से, कोई राज्य सरकार की प्रयोगशाला या राज्य सरकार द्वारा के भीतर या राज्य के बाहर कोई अन्य राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) प्रत्यायोजित प्रयोगशाला या आधुनिक उपकरणों से लैस कोई भी राज्य या केन्द्र सरकार की वैज्ञानिक संस्थान प्रयोगशाला, जिसमें बीज, सूखी वनस्पति सामग्री और कैनबिस के पौधों से तात्पर्यित/सम्बन्धित अन्य सामग्री की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक या तकनीकी अनुसंधान का प्रयोग और माप किया जा सकेगा, अभिप्रेत है;
(ग) "प्राधिकृत बीज प्रदाता" से, कोई व्यक्ति या कोई संगठन जिसे समाहर्ता (आबकारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 में यथा संलग्न प्ररूप-सी सी-एस में कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है;
(घ) "कृषक" से, कोई भू-स्वामी, जो हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी सम्पदा में व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है, अभिप्रेत है;
(ङ) "कृषि अधिकारी" से, जिला के उप निदेशक कृषि (डी.डी.ए.)/जिला कृषि अधिकारी (डी.ए. ओ) या इस आदेश के कार्यान्वयन के प्रयोजन से कृषि विभाग द्वारा नामित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

- (च) "समाहर्ता (आबकारी)" से, हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2021 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) "जिला नोडल अधिकारी" से, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि विभाग का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ज) "जिला आबकारी अधिकारी" से उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी या हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी अभिप्रेत है;
- (झ) "जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति" से, हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के नियम 34-ख के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ञ) "पदाभिहित क्षेत्र" ऐसा सुरक्षित क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस के पौधों (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के संबंध में जुताई (खेती), निष्कर्षण, प्रसंस्करण, उत्पाद, विनिर्माण, भंडारण, सुखाने/परिपक्वन (क्योरिंग), पैकेजिंग, अपशिष्ट निपटान क्षेत्र आदि से संबंधित किसी एक या समस्त कार्यकलापों का संचालन किया जा सकेगा;
- (ट) "सूखी वानस्पतिक सामग्री" से, कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) या उसका कोई भाग जो फसल कटाई के पश्चात् सूख गया है, अभिप्रेत है;
- (ठ) "शुल्क देय रकम" से, किसी कर से अनन्य निर्मित कैनबिस के पौधों के उत्पाद का विक्रय मूल्य अभिप्रेत है;
- (ड) "राज्य कर एवं आबकारी का आयुक्त" से हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ढ) "आबकारी अधिकारी" से हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अधीन आबकारी अधिकारी की शक्तियों से निवेशित प्रत्येक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है;
- (ण) "आवश्यक स्वापक औषधि" से ऐसी स्वापक औषधि अभिप्रेत है जिसे औषधीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु औषधि विनिर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है;
- (त) "प्ररूप" से, इस आदेश से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (थ) "हरित वानस्पतिक सामग्री" से कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) या उसका कोई भाग जिसकी ताजा फसल-कटाई की गई है, अभिप्रेत है;
- (द) "स्वदेशी बीज" से, कैनबिस के पौधों के बीज से अभिप्रेत है जो हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं तथा राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र या परिस्थितिकी तन्त्र के मूल हैं। ऐसे बीजों का स्थानीय स्वेदशी समुदायों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी परम्परागत रूप से संरक्षण या उपयोग किया जा रहा है तथा ये बीज स्थानीय पर्यावरण, जलवायु और मिट्टी

(मृदा) की स्थितियों के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित है, जो प्रायः उस क्षेत्र की जैव विविधता और कृषि विरासत का प्रतीक है;

- (ध) "अनुज्ञप्ति" से, इस आदेश के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;
- (न) "अनुज्ञप्त खेतिहार" से कोई कृषक या कृषकों की भागीदारी या स्वयं सहायता समूह या कृषक उत्पादक संगठन (एफ पी ओ) या फसल कटाई के पश्चात् प्रचालन के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ या खेती हेतु न्यूनतम भू-जोत या कृषि/उद्यान विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान या किसी राज्य सरकार विभाग की अपेक्षा को पूरा करने के लिए गठित कोई अन्य संगम या सोसाइटी, जिसने हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुज्ञप्त निर्माता को विक्रय के प्रयोजन हेतु कैनबिस पौधा (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) उगाने के लिए इन नियमों के अधीन प्ररूप-सी एच-2 में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है, अभिप्रेत है;
- (प) "अनुज्ञप्ति निर्माता" से कोई व्यक्ति, कंपनी निगम, सार्वजनिक उपक्रम, निगमित निकाय, सहकारी समिति या अन्य समिति, क्लब, फर्म, हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब या व्यक्तियों के अन्य संगम से अभिप्रेत है, जिसने ओद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस आधारित उत्पादों या उनके व्युत्पन्नों के कब्जों, प्रसंस्करण तथा विक्रय हेतु इस आदेश के अधीन प्ररूप-सी एच-एम अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है;
- (फ) "पास" से इस आदेश के अधीन प्रदान किया गया पास अभिप्रेत है;
- (ब) "परमिट" से, इस आदेश के अधीन प्रदान किया गया परमिट अभिप्रेत है;
- (भ) "नियम" से हिमाचल प्रदेश स्वापक मनःप्रभावी और मनःप्रभावी नियम, 1989 अभिप्रेत है;
- (म) "राज्य औषधि नियंत्रक" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी और "निदेशक आयुष-एवं-अनुज्ञापन प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियम 1945 के अधीन राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है;
- (म) "अनुसूची-I" इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (कक) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (खख) "राज्य सरकार" या सरकार से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (गग) "राज्य स्तरीय समिति" से हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के नियम 34-क के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है; और
- (य) "टी.एच.सी" से "टैट्राहाइड्रोकैनैबिनॉल" अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए सभी शब्दों और पदों, जो परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन क्रमशः उनके हैं।

3. कैनबिस के पौधों की खेती,— कैनबिस के पौधों की खेती निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी, अर्थात्:—

(1) बीजों का उपापन:-

- (i) चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस या औद्योगिक प्रयोजन के लिए कैनबिस की खेती हेतु अनुज्ञप्तिधारी कृषक द्वारा बीज स्थानीय (स्वदेशी) स्रोतों से, राज्य के भीतर प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ताओं से अन्य राज्यों से निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन आयात करके उपापन किया जाएगा:-
- (ii) अन्य राज्यों से बीजों के आयात राज्य के भीतर उपापन बीजों (जिसमें स्थानीय/स्वदेशी बीज भी सम्मिलित हैं) की दशा में, कृषक (खेतिहर) अनुज्ञप्ति, ऐसे बीजों की खेती करने से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व, सम्बद्ध जिला के कृषि विभाग के नोडल अधिकारी को बीजों के आयात संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनमें प्राधिकृत प्रदायकर्ताओं द्वारा एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला या किसी अन्य सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाला से जारी विश्लेषण प्रमाण पत्र होगा जिसके अंतर्गत कैनबिनाॅयड को शक्ति और संकेन्द्रण विनिर्दिष्ट करते हुए, बीज के प्रकार (कैनबिस या मादा कैनबिस या अन्यथा), टी0एच0सी0 एवं सी0बी0डी0 सहित कैनबिनाॅयड का विवरण अंकित होगा।
- (iii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए स्वदेशी बीज या अन्य राज्य से आयात स्वीकृत या अन्य प्रकार के बीज या दोनों के संयोजन का उपयोग किया जा सकेगा।

(ख) प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता के लिए अनुज्ञप्ति:- जो कोई व्यक्ति प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता के रूप में कैनबिस के बीज के क्रय, भंडारण और अनुज्ञप्त खेतिहारों को प्रदाय करने हेतु अनुज्ञप्ति करने का आशय रखता है वह उपरोक्त नियमों से संलग्न प्ररूप सी सी-एस 1 में जिला नोडल अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो अपनी अनुशंसाओं सहित आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी अनुशंसाओं सहित उसे संबद्ध आयुक्त (आबकारी) को भेजेगा।

संबद्ध परिक्षेत्र के आयुक्त (आबकारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के संदाय पर हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 से संलग्न प्ररूप सीसी-एस में एक वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। अनुज्ञप्ति, हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नवीकरण शुल्क के संदाय पर नवीकरणीय होगी:

परंतु प्ररूप सीसी-एस में अनुज्ञप्तिधारित प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता इस आदेश के अधीन प्ररूप सीसी-2, सीएच-2, सीसीएमएचसी-2 और सीसी-आर में अनुज्ञप्तिधारित अनुज्ञप्तिधारियों के सिवाय से अन्यथा किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को बीज विक्रय करने हेतु प्राधिकृत नहीं होंगे:

परंतु प्ररूप सीसी-एस में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता अपने परिसर में केवल उन्ही बीजों का भंडारण करेगा, जिनके संबंध में प्राधिकृत प्रयोगशाला से विश्लेषण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया गया हो। प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय, राज्य के भीतर या

देश के भीतर से अभिप्राप्त समस्त बीजों का औद्योगिक, चिकित्सा, स्वीकृत या अन्य प्रकार के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पृथक् भंडारण किया जाए। इसके अतिरिक्त, बीजों के विक्रय के समय प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता, क्रेता को विक्रय किए गए बीजों की गुणवत्ता के संबंध में विश्लेषण प्रमाण-पत्र जारी करना आज्ञापक रूप से सुनिश्चित करेगा:

परंतु यह और भी कि प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता बीजों के क्रय/प्राप्ति से संबंधित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखेगा तथा समय-समय पर प्राप्त, विक्रय किए गए एवं भण्डार में उपलब्ध बीजों का लेखा प्ररूप सीसी-एसआर-1 में अनुरक्षित रजिस्टर में रखेगा तथा मांग किए जाने पर उक्त अभिलेख एवं रजिस्टर को आबकारी और कृषक अधिकारी के समक्ष रखेगा। प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता से संबंधित समस्त अनुज्ञप्तियाँ अस्तांतरणीय तथा अविक्रय होंगी। किसी भी उल्लंघन में, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम, 1985 तथा तदधीन बनाए गए सुसंगत नियमों के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

(2) कृषि (खेती) के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन:-

(क) औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए क्षेत्र /क्षेत्रों को कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उक्त क्षेत्र बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सघन एवं भौगोलिक रूप से सतत् क्षेत्र तक सीमित होगा। अधिसूचित क्षेत्र में इस आदेश के अधीन खेती हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आशयित कोई भी व्यक्ति अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय कर प्ररूप सीएच-1 में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए संबंधित जिला नोडल अधिकारी अपनी संस्तुतियों सहित उक्त आवेदन को सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुतियों उसे संबंधित समहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। जिला आबकारी अधिकारी से आवेदन एवं संस्तुतियां प्राप्त होने पर समहर्ता (आबकारी) इन नियमों से संलग्न अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के संदाय तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्ररूप सी0एच0-2 में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा:-

- (i) वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से कृषि (खेती) के लिए प्रस्तावित भू-जोत भौगोलिक रूप से किसी संलग्न क्षेत्र में तीन हैक्टेयर से कम नहीं होगा। न्यूनतम क्षेत्र की सीमा सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों को लागू नहीं होगी;
- (ii) आवेदक प्रस्तावित कृषि (खेती) हेतु भूमि के क्षेत्रफल एवं उसकी स्थिति की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व-प्रमाणित बंध पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक की अनुज्ञप्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।
- (iii) आवेदक कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के साथ विनिर्माता के साथ निष्पादित क्रय अनुबंध की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनुबंध कृषक के हितों के संरक्षण तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि पूर्व से ही बाय-बैक व्यवस्था विद्यमान हो, जिससे कृषक द्वारा उत्पादित फसल का विनिर्माता द्वारा

अनिवार्य रूप से क्रय किया जाए। कृषक को पृथक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। कृषक तथा विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारी अपनी-अपनी गतिविधियों/संचालन के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। कैनबिस के नियमों एवं शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(iv) आवेदक कृषक आवेदन के साथ भूमि का स्थल-योजना, उसके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम निर्देशांक, जियो टैगिंग तथा भाण्डागार हेतु निर्धारित क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(v) आवेदक के पास कटाई चक्र प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसा भाण्डागार उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें इस आदेश के उपबंधों के अधीन बोई गई कैनबिस की फसल का भंडारण किया जा सके तथा जो इन आदेशों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता हो।

(vi) आवेदक, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के समतुल्य राशि की प्रतिभूति, सावधि जमा रसीद को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखकर अथवा बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा।

(ख) कैनबिस के पौधों की खेती एवं कटाई हेतु कोई अनुज्ञप्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण न करता हो, अर्थात्:-

(i) (क) यदि आवेदक कोई व्यक्ति, कृषकों का समूह अथवा कृषक संघ हो, तो वह कृषक अथवा पट्टाधारक होना चाहिए;

(ख) यदि आवेदक कोई सहकारी समिति हो, तो उसका पंजीकरण हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1968 के अधीन होना चाहिए; तथा

(ग) स्वयं सहायता समूह, हिमाचल प्रदेश के कृषकों का होना चाहिए।

(ii) आवेदक किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध न हुआ हो, जिसमें नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, पद अथवा कर्तव्यों का दुरुपयोग, प्रभाव का दुरुपयोग अथवा किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध सम्मिलित हो।

(iii) आवेदक के पास स्थल पर अथवा अपने संस्थान में राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से अनुमोदित परीक्षण सुविधा उपलब्ध हो, जिससे सूखी वानस्पतिक सामग्री की सामर्थ्य का परीक्षण किया जा सके; अथवा किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला के साथ ऐसी परीक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो।

(iv) समाहर्ता, जिला नोडल अधिकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुतियों के आधार पर आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा अथवा प्रदान करने से इंकार कर सकेगा। अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार किए जाने की दशा में समाहर्ता (आबकारी) इसके कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(v) अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी तथा इन आदेशों से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नवीनीकरण शुल्क के संदाय के अधीन उसका नवीकरण किया जा सकेगा। यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय तथा अविक्रेय होगी। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में, अनुज्ञप्ति का अंतरण उसके विधिक उत्तराधिकारी को स्थानांतरित किए जाने हेतु अनुमत की जा सकेगी।

(vi) किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके तदधीन बनाए गए सुसंगत नियमों के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(ग) प्राधिकृत क्रियाकलापों— इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, खेती अनुज्ञप्तिधारी इस देश के अधीन निम्नलिखित समस्त अथवा किसी भी गतिविधि को करने के लिए प्राधिकृत होगा, अर्थात्:—

- (i) खुले किन्तु चारदीवारी/बाड़ से सुरक्षित क्षेत्र में कैनबिस के पौधों की खेती करना;
- (ii) फसल की कटाई करना;
- (iii) उपज का अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार (वेयरहाउस) में भण्डारण करना; तथा
- (iv) इस आदेश में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार से उपज का विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई तक परिवहन करना।

(घ) नामित आबकारी अधिकारी तथा उत्तरदायी प्रभारियों की नियुक्ति—

(i) (क) जिला आबकारी अधिकारी, इस आदेश के अनुसार कैनबिस के पौधों की खेती की निगरानी हेतु सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, का एक आबकारी अधिकारी नामित करेगा।

(ख) जिला नोडल अधिकारी, इस आदेश के अनुसार कैनबिस के पौधों की खेती के पर्यवेक्षण हेतु एक उपयुक्त अधिकारी नामित करेगा।

(ii) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कृषक, निरीक्षण हेतु अनुरोध किए जाने पर, उपर्युक्त उपखंड (i) (A) एवं (B) में उल्लिखित निरीक्षण प्राधिकारियों को सभी अपेक्षित लेन-देन अभिलेख, वीडियो एवं सुरक्षा कैमरा (सीसीटीवी) रिकॉर्डिंग, लॉगबुक तथा तौल एवं मापन उपकरण निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराएगा। अनुज्ञप्तिधारी कृषक, कैनबिस के पौधों की खेती से संबंधित सभी वर्तमान एवं प्रगतिशील गतिविधियों की सूचना निरीक्षण प्राधिकारियों को देगा तथा यह निरीक्षण प्राधिकारियों का कर्तव्य होगा कि वे अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र एवं भाण्डागार को प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार नियमित निरीक्षण करें तथा उसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार करें।

(iii) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कृषक अपनी ओर से अपेक्षित गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा। वह ऐसी नियुक्ति की सूचना जिला आबकारी अधिकारी को देगा। जिला आबकारी अधिकारी आवश्यक जांच करने के उपरान्त उक्त नियुक्ति का अनुमोदन करेगा। अनुमोदित उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति को

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एक पहचान-पत्र जारी किया जाएगा, जिसे वह कार्य अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से अपने साथ धारण करेगा। ऐसा उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, पद अथवा अधिकारों के दुरुपयोग, प्रभाव के व्यापार अथवा किसी भी विधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

(ड) कैनबिस पौधों की खेती के अधीन क्षेत्र का मापन एवं फसल कटाई प्रक्रिया :-

(i) कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय आवेदक भूमि के मापन तथा खेती हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करेगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी तथा अनुज्ञप्तिधारी कृषक के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(ii) सभी मापन मीट्रिक पद्धति में किए जाएंगे।

(iii) आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का विवरण, उपर्युक्त खंड (घ)(i)(क)(ख) में उल्लिखित नामित अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय सत्यापन के अधीन होगा। किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो नामित आबकारी अधिकारी भूमि के मापन का सत्यापन तहसीलदार अथवा इस प्रयोजन हेतु विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य राजस्व अधिकारी से भी करा सकेगा।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, बुवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के पंद्रह दिवस के भीतर उस संपूर्ण भूमि का विवरण घोषित करेगा, जिस पर उसके द्वारा कैनबिस के पौधों की खेती की गई है।

(v) खेती पूर्ण होने के उपरांत, किन्तु फसल कटाई से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी इस आशय का स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि उसने कैनबिस के पौधे केवल अनुज्ञप्ति में स्वीकृत क्षेत्र में ही उगाया है तथा इस आदेश में विनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रावधानों सहित अधिसूचित क्षेत्र में भाण्डागार स्थापित किया है। वह इसकी समस्त जानकारी संबंधित सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराएगा, जो इस संबंध में अपनी रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(vi) यदि सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी यह पाता है कि अनुज्ञप्तिधारी कृषक ने अनुज्ञप्ति में स्वीकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में कैनबिस के पौधों की खेती की है अथवा लागू प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन किया है, तो वह प्रकरण को जिला प्रभारी के माध्यम से समहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। समहर्ता (आबकारी), आवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करेगा तथा स्वापक औषधि एवं

मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(vii) अनुज्ञप्तिधारी कृषक कैनबिस के पौधों की उपज की कटाई तब तक नहीं करेगा, जब तक कि कटाई प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम इक्कीस दिवस पूर्व इस संबंध में प्राधिकृत कृषि अधिकारी एवं आबकारी अधिकारी को लिखित सूचना न दे दी गई हो तथा जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय के लिखित आदेश प्राप्त न कर लिए गए हों।

(च) सुरक्षा उपाय:— अनुज्ञप्तिधारी कृषक यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सुरक्षा एवं संरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए और अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके:—

- (i) अनुज्ञप्तिधारित खेती क्षेत्र तथा भाण्डागार की परिधि के चारों ओर सभी दिशाओं में समुचित बाड़बन्दी और जियो-टैगिंग की गई हो, ताकि अनुज्ञप्तिधारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश न हो।
- (ii) अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर में प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक ही प्रवेशा/निकास द्वार होगा।
- (iii) खेती का क्षेत्र एवं भंडारण क्षेत्र स्पष्ट रूप से पृथक एवं परिभाषित होंगे तथा भाण्डागार विधिवत् राजस्व ताले के अधीन रहेगा।
- (iv) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अनुज्ञप्तिप्राप्त खेती क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा वहाँ से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।
- (v) अनुज्ञप्तिधारी कृषक स्थल पर अनधिकृत प्रवेश के प्रत्येक प्रयास अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश का अभिलेख अनुरक्षित करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे—

(क) घटना की तिथि एवं समय; और

(ख) घटना के प्रत्युत्तर में किए गए उपाय तथा उन उपायों को किए जाने की तिथि एवं समय;

(vi) अनधिकृत प्रवेश के प्रत्येक प्रयास अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश की घटना की सूचना अनुज्ञप्तिधारी कृषक द्वारा घटना के चौबीस घंटे के भीतर जिला आबकारी अधिकारी को दी जाएगी। उक्त रिपोर्ट में घटना से संबंधित सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे, जैसा कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित किया जाए। जिला आबकारी अधिकारी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(vii) खेती क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, निगरानी कैमरे स्थापित किए जाएंगे।

(viii) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अनुज्ञप्तिप्राप्त खेती क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा वहाँ से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(छ) कैनबिस में टीएचसी का परीक्षण— अनुज्ञप्तिधारी कैनबिस के पौधों की कटाई से तीस दिन पूर्व संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को टीएचसी के विश्लेषण हेतु सूचना देगा। जिला आबकारी अधिकारी नामित आबकारी अधिकारी को फसल के नमूने एकत्र करने के निर्देश देगा।

(i) नमूनों के संग्रहण हेतु अनुशासित मानक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(ii) नमूनों को कैनबिस में टीएचसी के विश्लेषण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान को भेजा जाएगा। नामित आबकारी अधिकारी टीएचसी परीक्षण प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करेगा।

(iii) नामित आबकारी अधिकारी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो फसल में टीएचसी की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा 0.3 प्रतिशत से कम अथवा उसके बराबर पाए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी को कैनबिस के पौधों की कटाई की अनुमति प्रदान करेगा:

परंतु यह कि, यदि टीएचसी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है, तो जिला आबकारी अधिकारी आवेदक को केवल फसल के तने एवं शाखाओं से रेशा तैयार करने की अनुमति देगा तथा पौधे के शेष भाग (जैसे पुष्प, पतियों, बीज आदि) निरीक्षण प्राधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट किए जाएंगे।

(iv) कैनबिस के पौधों के नमूनों में टीएचसी के विश्लेषण पर होने वाला समस्त व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी उक्त राशि टीएचसी परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला को संदत्त करेगा।

(v) अधिकृत परीक्षण संस्थान नमूना प्राप्त होने की तिथि से सात दिवस के भीतर टीएचसी परीक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

(ज) कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के हरे एवं सूखे वानस्पतिक पदार्थ की कटाई एवं तौल की प्रक्रिया :-

(i) अनुज्ञप्तिधारी कृषक कैनबिस के पौधों की फसल की कटाई से कम से कम इक्कीस दिवस पूर्व नामित आबकारी अधिकारी को लिखित सूचना देगा। कटाई का अर्थ प्रसंस्करण हेतु खेती वाले क्षेत्र से संपूर्ण पौधे को हटाना होगा। इसमें पौधों की छंटाई पौधों के स्वास्थ्य हेतु शाखाओं, तनों अथवा पौधे के अन्य भागों का आंशिक हटाया जाना अथवा कीट, प्रतिकूल मौसम या अन्य कारणों से पूर्णतः नष्ट हो चुके अनुपयोगी पौधों को हटाना सम्मिलित नहीं होगा।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि कटाई के दौरान प्रत्येक दिवस की हेम्प फसल का अभिलेख प्रपत्र सीएच-2क में अनुरक्षित करेगा अथवा अनुरक्षित कराएगा, जिसमें हरे एवं सूखे वानस्पतिक पदार्थ दोनों का तौल अंकित किया जाएगा।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण प्राधिकारियों की उपस्थिति में प्रत्येक कटाई बैच के पौधों की संख्या कटाई का कुल भार, हरे वानस्पतिक पदार्थ का भार तथा सूखे वानस्पतिक पदार्थ का भार का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(3) कैनबिस के पौधों के भाण्डागारण हेतु अनुज्ञप्ति:—

कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय आवेदक के लिए भाण्डागारण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह आवेदन जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो इसे संबंधित जोन के समाहर्ता (आबकारी) को इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क के भुगतान पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों के भंडारण के लिए प्ररूप सीएच-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु अग्रेषित करेगा संबंधित जोन का कलेक्टर (आबकारी), उपर्युक्त अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर प्रपत्र सीएच-4 में कैनबिस के पौधों के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा। कैनबिस के पौधों के सुरक्षित संरक्षण का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा। अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार अनिवार्य रूप से कैनबिस के पौधों के अधिकृत खेती क्षेत्र के भीतर ही स्थित होगा।

(4) परिसर की सुरक्षा एवं संरक्षण— अनुज्ञप्तिधारी कृषक,—

(क) भाण्डागार का अभिकल्प (डिजाइन) इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि उसमें अनधिकृत प्रवेश न हो सके तथा भाण्डागारण में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा और भाण्डागारण के नक्शे (ड्राईंग) का संबंधित आबकारी क्षेत्रीय समाहर्ता द्वारा विधिवत अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) कटाई की गई कैनबिस के पौधों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल एवं भाण्डागार में प्रवेश केवल उन्ही व्यक्तियों तक सीमित रहे, जिनकी उपस्थिति उनके आधिकारिक कर्तव्यों की प्रकृति अथवा उपज की सुरक्षा, विक्रय या पर्यवेक्षण के संबंध में आवश्यक हो।

(घ) अनुज्ञप्ति—प्राप्त भाण्डारागारण में प्रवेश करने तथा वहाँ से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(ङ) परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित प्रणाली, निगरानी कैमरे अथवा सीसीटीवी स्थापित करेगा।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति—प्राप्त परिसर के मुख्य बाह्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एक साइनबोर्ड लगाएगा, जिस पर निम्नलिखित विवरण रंगे हुए अक्षरों में अंकित होंगे—

(i) " कैनबिस के पौधे" भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति—प्राप्त परिसर। प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध।"

(ii) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, संपर्क विवरण, अनुज्ञप्ति की अवधि जीपीएस निर्देशांक तथा उसके द्वारा स्थापित कैमरों की संख्या, हिन्दी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं में।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित नारे अथवा पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

(5) खेती एवं भाण्डागारण का अनुश्रवण— औद्योगिक कैनबिस के पौधों की खेती एवं भण्डारण के अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत होंगे—

(क) राज्य कर एवं आबकारी विभाग का ऐसा अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो।

(ख) कृषि विभाग का अधिकारी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) की पंक्ति से नीचे का न हो अथवा ऐसा कोई अन्य अधिकारी जैसा कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(ग) पुलिस विभाग का ऐसा अधिकारी, जो उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, तथा उसके साथ राज्य कर एवं आबकारी विभाग का कम-से-कम एक अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, उपस्थित हो।

(घ) राजस्व विभाग का ऐसा अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, तथा उसके साथ राज्य कर एवं आबकारी विभाग का कम-से-कम एक अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, उपस्थित हो।

(6) कृषक द्वारा कैनबिस के पौधों के निपटान की रीति— इस आदेश के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) की खेती हेतु अनुज्ञप्ति धारित करने वाला प्रत्येक कृषक, कैनबिस के पौधों की प्रत्येक कटाई के पश्चात, इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, उत्पाद को इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अनुज्ञप्तिप्राप्त गोदाम में स्थानांतरित करेगा। वह कैनबिस के पौधों का निपटान निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य के भीतर किसी अनुज्ञप्तिप्राप्त निर्माता को उत्पाद विक्रय करके; परंतु ऐसा कोई उत्पाद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रपत्र सीएच-टी में जारी अनुज्ञापत्र तथा सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी द्वारा प्ररूप सीएच-पी में जारी परिपत्र के बिना निर्माता को परिवहित नहीं किया जाएगा; अथवा

(ख) यदि परिस्थितियाँ ऐसा अपेक्षित करें, तो निम्नलिखित विधियों का पालन करते हुए उसे नष्ट कराकर:—

(i), कम्पोस्टिंग पादप अपशिष्ट को कृषि या उद्यानिकी उपयोग हेतु जैविक कम्पोस्ट अथवा मल्य में परिवर्तित करना।

(ii) अवायवीय पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नियंत्रित सूक्ष्मजीवीय पाचन द्वारा जैव-द्रव्य का प्रसंस्करण कर बायोगैस अथवा जैव उर्वरक का उत्पादन करना।

- (iii) जैव-प्रसंस्करण पादप अवशेषों को फाइबर बोर्ड इन्सुलेशन अथवा जैव-ईंधनजैसे औद्योगिक इनपुट में परिवर्तित करना।
- (iv) भूमि अनुप्रयोग पर्यावरणीय विनियमों के अधीन, अपघटित जैविक पदार्थ को मृदा सुधारक के रूप में भूमि में प्रयोग करना।
- (v) अथवा उसे जलाकर या अन्यथा नष्ट कराकर।

अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी (आबकारी) को पूर्व सूचना देगा, जो इस संबंध में समाहर्ता (आबकारी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। समाहर्ता (आबकारी), जिला आबकारी अधिकारी की अनुशंसाओं की प्राप्ति पर, उक्त उत्पाद के विनाश हेतु उपयुक्त आदेश पारित करेगा। विनाश की संपूर्ण प्रक्रिया का विधिवत अभिलेखीकरण एवं वीडियोग्राफी की जाएगी। विनाश के उपरांत, जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समाहर्ता (आबकारी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) विवरणियों का प्रस्तुतिकरण

प्रत्येक अनुज्ञप्तिप्राप्त कैनबिस के पौधों के कृषक तथा भाण्डागार अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक फसल चक्र की पूर्णता के एक माह के भीतर, इस आदेश से संलग्न प्ररूप में विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा।

4. कैनबिस के पौधों के उत्पादों का उत्पादन एवं विनिर्माण— कैनबिस के पौधों के उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विनिर्माण पर निम्नलिखित शर्तें लागू होगी—

- (1) कैनबिस के पौधों के उत्पादों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति— आवेदक जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन को संबंधित क्षेत्र के समाहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुति सहित उक्त आवेदन को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त के पास प्रपत्र सीएच-5 में कैनबिस के पौधों के उत्पादों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अग्रेषित करेगा। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, समाहर्ता (आबकारी) से आवेदन एवं संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर, इस आदेश से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के संदाय पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रपत्र सीएच एम में कैनबिस के पौधों के उत्पादों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा—

- (क) अनुज्ञप्तिधारी. 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) की प्रतिभूति, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त के पक्ष में गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा।
- (ख) अनुज्ञप्ति का प्रतिवर्ष इस आदेश से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नवीकरण शुल्क के भुगतान पर नवीकरण किया जाएगा।
- (ग) प्रत्येक विनिर्माण इकाई में एक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी, को इकाई का प्रभारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
- (घ) अनुज्ञप्ति-प्राप्त भाण्डागार से प्रपत्र सीएच-टी में जारी परिवहन अनुज्ञापत्र के माध्यम से विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई को भेजी गई समस्त कैनबिस के पौधों की उपज, इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत इकाई प्रभारी सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में प्राप्त की जाएगी। यदि खेप के साथ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रपत्र सीएच-टी का परिवहन अनुज्ञापत्र तथा भाण्डागार के प्रभारी द्वारा जारी प्रपत्र सीएच-पी का परिपत्र संलग्न न हो, तो आबकारी अधिकारी ऐसी किसी भी खेप को प्राप्त नहीं करेगा।
- (ङ) खेप के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में पहुँचते ही, आबकारी अधिकारी संबंधित इकाई के प्रबंधक अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में तौल द्वारा कैनबिस के पौधों की उपज की मात्रा का सत्यापन करेगा।
- (च) इस प्रकार प्राप्त समस्त कैनबिस के पौधों की उपज को "कैनबिस के पौधों के भण्डार कक्ष में सुरक्षित रखा जाएगा। विनिर्माण इकाई के प्रभारी आबकारी अधिकारी स्टॉक रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा।
- (छ) निष्कर्षण अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग के लिए केवल उतनी ही मात्रा में कैनबिस के पौधों की उपज को भण्डार कक्ष से निकाला जाएगा, जिसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर इकाई प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति प्रदान की गई हो। आबकारी अधिकारी नियमों के अधीन विहित निर्गमन रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा।
- (ज) समस्त तैयार उत्पादों को "तैयार माल भण्डार में स्थानांतरित किया जाएगा तथा उसका विवरण प्रतिदिन आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो नियमों के अधीन विहित रजिस्टर में स्थानांतरित मात्रा की प्रविष्टि करेगा।
- (झ) कैनबिस के पौधों के उत्पादों के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भण्डार कक्ष, विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण क्षेत्र, तैयार माल भण्डार तथा आबकारी अधिकारी का कार्यालय, अनुज्ञप्ति-प्राप्त परिसर में स्पष्ट रूप से पृथक एवं चिह्नित होंगे।

- (ज) राज्य में विनिर्माण इकाई स्थापित करने हेतु न्यूनतम पूंजी निवेश ₹100 करोड़ (रुपये एक सौ करोड़ मात्र) होगा।
- (ट) विनिर्माण इकाइयों पर कैनबिस के पौधों के उत्पादों के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए व्यवसाय के वार्षिक कारोबार पर 3% प्रतिशत राज्य उपकर/अधिभार (जिसमें 2% दुग्ध उपकर तथा 1% पर्यावरण उपकर सम्मिलित होगा) अधिरोपित किया जाएगा। इससे प्राप्त धनराशि पशुपालन विभाग तथा पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित की जाएगी।
- (ठ) इस आदेश के अधीन जारी सभी संबंधित अनुज्ञप्तियाँ अहस्तांतरणीय तथा अविक्रेय होंगी।
- (ड) किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के सभी उपबंध लागू होंगे।
- (2) विनिर्माण इकाई द्वारा कैनबिस के पौधों की खेती हेतु अनुज्ञप्ति— कैनबिस के पौधों की औद्योगिक प्रयोजनों के लिए खेती के क्षेत्र कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्र सघन तथा भौगोलिक रूप से सतत होंगे।

प्रपत्र सीएच-एम में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई भी आवेदक, जो इन आदेशों के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, संबंधित जिला नोडल अधिकारी को प्रपत्र सीएच-एमसी-1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिला नोडल अधिकारी अपनी संस्तुति सहित आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुति सहित आवेदन को संबंधित समाहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। समाहर्ता (आबकारी), जिला आबकारी अधिकारी से आवेदन एवं संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर, इस आदेश से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान तथा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन प्रपत्र सीएच-एमसी-2 में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा—

- (क) खेती के लिए प्रस्तावित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक भू-धारण का क्षेत्रफल भौगोलिक रूप से सतत क्षेत्र में तीन एकड़ से कम नहीं होगा। तथापि, न्यूनतम क्षेत्रफल की यह सीमा सरकारी विभागों तथा अनुसंधान संस्थानों पर लागू नहीं होगी।
- (ख) आवेदक, खेती हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल तथा स्थान की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करेगा। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आवेदक की अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

- (ग) आवेदक, कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के साथ विनिर्माता के साथ संपादित क्रय अनुबंध की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनुबंध कृषक के हितों के संरक्षण तथा यही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि पूर्व से ही बाय-बैक व्यवस्था विद्यमान हो, जिससे कृषक द्वारा उत्पादित संपूर्ण फसल का विनिर्माता द्वारा अनिवार्यतः क्रय किया जाए। केवल कृषक को पृथक अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। कृषक तथा विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारी अपनी क्रियाकलापों एवं संचालन के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। कैनबिस संबंधी नियमों एवं शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।
- (घ) आवेदक कृषक आवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का नक्शा, उसके वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) निर्देशांक, जियो-टैगिंग का विवरण तथा भाण्डागार हेतु नामित क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (ङ) आवेदक के पास कटाई चक्र प्रारंभ होने से पूर्व इस आदेश के उपबंधों के अधीन उत्पादित कैनबिस के पौधों के उत्पादों के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए की उपज के भण्डारण हेतु ऐसा भाण्डागार उपलब्ध होगा, जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों को पूरा करता हो।
- (च) आवेदक, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के समतुल्य राशि की प्रतिभूति, जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा।
- (छ) आवेदक किसी भी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध न हुआ हो, जिसमें नैतिक अधमता भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, शक्ति अथवा पद का दुरुपयोग, प्रभाव के व्यापार अथवा किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध सम्मिलित हो।
- (ज) आवेदक के पास सूखी वानस्पतिक सामग्री के सामर्थ्य के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थल-स्थित अथवा आंतरिक परीक्षण सुविधा होगी, अथवा इस आदेश में परिभाषित किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला के साथ परीक्षण की व्यवस्था होगी।
- (झ) कृषि विभाग के जिला नोडल अधिकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुतियों के आधार पर समाहर्ता (आबकारी) अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा अथवा प्रदान करने से इंकार कर सकेगा। अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार किए जाने की स्थिति में, समाहर्ता (आबकारी) उसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

- (ज) अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी तथा इस आदेश से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नवीकरण शुल्क के भुगतान पर उसका नवीकरण किया जा सकेगा। यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय तथा अविक्रेय होगी। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की स्थिति में अनुज्ञप्ति उसके वैध उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरित की जा सकेगी।
- (ट) किसी भी उल्लंघन की स्थिति में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के सभी उपबंध लागू होंगे।
- (ठ) खेती हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माता, हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 तथा राज्य में प्रवृत्त अन्य लागू विधियों के उपबंधों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में खेती हेतु भूमि अर्जित करेगा तथा अपने अधिकार में रखेगा।
- (ड) प्राधिकृत क्रियाकलाप:- इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, खेती संबंधी अनुज्ञप्ति का धारक निम्नलिखित सभी अथवा किसी भी क्रियाकलाप का संचालन करने के लिए प्राधिकृत होगा-
- (i) खुले किन्तु घेराबंदी किए गए क्षेत्र में कैनबिस के पौधों की खेती करना;
 - (ii) फसल की कटाई करना;
 - (iii) उपज का अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागार में भण्डारण करना; तथा
 - (iv) इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त (भण्डारागार से उपज का विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई तक परिवहन करना।
- (ढ) नामित आबकारी अधिकारी तथा उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति की नियुक्ति:-
- (i)(क) जिला आबकारी अधिकारी, इस आदेश के अधीन कैनबिस के पौधों की खेती के पर्यवेक्षण हेतु सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से निम्न श्रेणी का न होने वाले किसी आबकारी अधिकारी को नामित करेगा।
 - (ख) जिला नोडल अधिकारी, इस आदेश के अधीन कैनबिस के पौधों की खेती के पर्यवेक्षण हेतु एक उपयुक्त अधिकारी को नामित करेगा।
 - (ii) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कृषक, उपर्युक्त उपखंड (न) (i) (क) एवं (ख) में उल्लिखित निरीक्षण प्राधिकारियों को, निरीक्षण हेतु मांग किए जाने पर, सभी आवश्यक संव्यवहार अभिलेख, वीडियो एवं सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग, लॉगबुक तथा तौल एवं मापन उपकरण उपलब्ध कराएगा। अनुज्ञप्तिधारी कृषक, कैनबिस (हेम्प) की खेती से संबंधित सभी वर्तमान एवं प्रगतिशील गतिविधियों की सूचना निरीक्षण प्राधिकारियों को देगा। निरीक्षण प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अनुज्ञप्ति-प्राप्त क्षेत्र तथा भण्डारगृह का नियमित रूप से कम-से-कम प्रत्येक तीन माह में एक बार निरीक्षण करें तथा इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(iii) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कृषक अपनी ओर से आवश्यक क्रियाकलापों के संचालन हेतु एक उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा। वह ऐसी नियुक्ति की सूचना जिला आबकारी अधिकारी को देगा, जो आवश्यक जांच के उपरांत उक्त नियुक्ति का अनुमोदन करेगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति को एक पहचान-पत्र जारी किया जाएगा, जिसे वह कार्यावधि के दौरान अनिवार्य रूप से अपने साथ रखेगा। ऐसा उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, शक्ति अथवा पद के दुरुपयोग, प्रभाव के व्यापार अथवा किसी भी विधि के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

(ण) कैनबिस के पौधों खेती के अधीन क्षेत्र का मापन तथा कटाई की प्रक्रिया:-

(i) कृषक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के लिए आवेदन करते समय, आवेदक भूमि के मापन तथा खेती हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र / घोषणा प्रस्तुत करेगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी तथा अनुज्ञप्तिधारी कृषक के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(ii) सभी मापन मीट्रिक पद्धति में किए जाएंगे।

(iii) आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का विवरण, इस आदेश के उपबंध (ढ) (1) (क) एवं (ख) में निर्दिष्ट नामित अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय सत्यापित किया जा सकेगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर, नामित आबकारी अधिकारी भूमि के मापन का सत्यापन संबंधित तहसीलदार अथवा इस प्रयोजन हेतु विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य राजस्व अधिकारी से भी करा सकेगा।

(iv) अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक, बुवाई मिक्स की प्रक्रिया पूर्ण होने के पंद्रह दिनों (एक पखवाड़े) के भीतर उस संपूर्ण भूमि का विवरण घोषित करेगा, जिस पर उसके द्वारा कैनबिस के पौधों की खेती की गई है।

(v) खेती पूर्ण होने के पश्चात, किंतु कटाई प्रारम्भ करने से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी एक स्व-प्रमाणित घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उसने कैनबिस के पौधों की खेती केवल अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में ही की है तथा इस आदेश में विनिर्दिष्ट सुरक्षा सुविधाओं से युक्त एक भाण्डागार निर्धारित क्षेत्र में उपलब्ध है। वह गोदाम का विवरण संबंधित सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/राज्य कर एवं आबकारी

अधिकारी को उपलब्ध कराएगा, जो इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(vi) यदि सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी यह पाता है कि अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक ने कैनबिस के पौधों की खेती अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में की है अथवा इस आदेश के किसी भी लागू उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह प्रकरण जिला प्रभारी के माध्यम से समाहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। समाहर्ता (आबकारी) आवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, यदि उल्लंघन सिद्ध होता है, तो अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करेगा तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही भी करेगा।

(vii) अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक, कैनबिस के पौधों की उपज की कटाई तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा, जब तक कि प्रस्तावित कटाई की तिथि से कम-से-कम इक्कीस (21) दिन पूर्व इस संबंध में प्राधिकृत कृषि अधिकारी तथा आबकारी अधिकारी को लिखित सूचना न दे दी गई हो तथा जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय के लिखित आदेश प्राप्त न कर लिए गए हों।

(त) सुरक्षा उपाय— अनुज्ञप्तिधारी कृषक यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सुरक्षा एवं संरक्षण उपायों का अनुपालन किया जाए, अर्थात्,— (i) खेती एवं भाण्डागारण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र की परिधि के चारों ओर सभी दिशाओं में समुचित घेराबंदी तथा जियो टैगिंग की व्यवस्था होगी, ताकि अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर में किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रवेश न हो सके।

(ii) अनुज्ञप्ति—प्राप्त परिसर में प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक ही प्रवेश / निकास द्वार होगा।

(iii) खेती का क्षेत्र तथा भण्डारण क्षेत्र स्पष्ट रूप से पृथक एवं चिह्नित होंगे तथा भाण्डागारण समुचित राजस्व ताले के अधीन रहेगा।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, अनुज्ञप्ति प्राप्त खेती क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा वहीं से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(v) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, स्थल पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत प्रवेश अथवा अनधिकृत प्रवेश के प्रयास का अभिलेख संरक्षा करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण भी होंगे

(क) घटना की तिथि एवं समय, तथा

(ख) उसके प्रत्युत्तर में की गई कार्रवाई तथा उसके किए जाने की तारीख एवं समय।

(vi) अनधिकृत प्रवेश अथवा अनधिकृत प्रदेश के किसी भी प्रयास की घटना की सूचना अनुज्ञप्तिधारी कृषक द्वारा घटना के घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर जिला आबकारी अधिकारी को दी जाएगी। उक्त प्रतिवेदन में घटना के सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे, जिनकी अपेक्षा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जाए, जो स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा इस आदेश के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(vii) खेती क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, निगरानी कैमरे अथवा सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे।

(viii) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, अनुज्ञप्ति प्राप्त खेती क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा वहाँ से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख संरक्षित करेगा।

(ix) कैनबिस के पौधों में टीएचसी का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी, कैनबिस के पौधों की कटाई से तीस दिन पूर्व संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को टीएचसी के विश्लेषण हेतु सूचित करेगा। जिला आबकारी अधिकारी पदाभिहीत आबकारी अधिकारी को फसल के नमूने एकत्र करने के निर्देश देगा।

(x) नमूने एकत्र करने हेतु अनुशंसित मानक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(xi) कैनबिस के पौधों के नमूनों में टीएचसी के विश्लेषण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान को भेजा जाएगा। नामित आबकारी अधिकारी टीएचसी परीक्षण प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के लिए विशेष प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(xii) पदाभिहीत आबकारी अधिकारी इस संबंध में अपना प्रतिवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो यदि फसल में टीएचसी की अधिकतम निर्धारित मात्रा 0.3 प्रतिशत या उससे कम पाई जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को कैनबिस के पौधों की कटाई की अनुमति प्रदान करेगा:

परंतु यह कि यदि टीएचसी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है, तो जिला आबकारी अधिकारी आवेदक को केवल फसल के तने एवं शाखाओं से रेशा बनाने की अनुमति देगा तथा पौधे के शेष भाग, जैसे पुष्प, पत्तियों, बीज आदि, निरीक्षण प्राधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट किए जाएंगे।

(xiii) कैनबिस के पौधों के नमूनों में टीएचसी विश्लेषण पर होने वाला समस्त व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जाएगा, जो उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला को टीएचसी परीक्षण हेतु संचाय करेगा।

(xiv) प्राधिकृत परीक्षण संस्थान, नमूना प्राप्त होने की तिथि से सात दिवस के भीतर टीएचसी के परीक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

(3) कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) (हरित एवं शुष्क वानस्पतिक सामग्री) की कटाई एवं तौल की प्रक्रिया—

(क) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, कैनबिस के पौधों की फसल की कटाई से कम-से-कम इक्कीस दिन पूर्व नामित आबकारी अधिकारी को लिखित सूचना देगा। इस प्रयोजन के लिए कटाई से अभिप्राय प्रसंस्करण हेतु खेती क्षेत्र से सम्पूर्ण पौधों को उखाड़कर हटाना होगा। इसमें पौधों के स्वास्थ्य की दृष्टि से की जाने वाली छटाई, शाखाओं तनों अथवा पौधों के भागों को आंशिक रूप से हटाना अथवा कीट, प्रतिकूल मौसम या अन्य कारणों से पूर्णतः नष्ट हो चुके अनुपयोगी पौधों को हटाना सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, कटाई के दौरान प्रत्येक दिवस की कटाई का अभिलेख प्रपत्र सीएच-2क में अनुरक्षित करेगा या अनुरक्षित करवाएगा, जिसमें हरित एवं शुष्क वानस्पतिक सामग्री दोनों का तौल अंकित किया जाएगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, निरीक्षण प्राधिकारियों की उपस्थिति में प्रत्येक कटाई बैच के संबंध में पौधों की संख्या अर्थात् कटाई की कुल मात्रा हरित वानस्पतिक सामग्री का भार तथा शुष्क वानस्पतिक सामग्री का भार अभिलेखित करेगा।

(4) कैनबिस के पौधों के भण्डागारण हेतु अनुज्ञप्ति— आवेदक कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय, कृषि विभाग के जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से भण्डागार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना अनिवार्य रूप से करेगा। जिला नोडल अधिकारी अपनी संस्तुति सहित आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुति सहित संबंधित क्षेत्र के समाहर्ता (आबकारी) को औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों के भण्डारण के लिए प्रपत्र सीएचएमएचसी-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अग्रेषित करेगा। आवेदन के साथ इस आदेश से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क देय होगा। संबंधित क्षेत्र का समाहर्ता (आबकारी), उपर्युक्त अधिकारियों की संस्तुति पर प्रपत्र सीएचएमएचसी-4 ने कैनबिस के पौधों के उत्पादों के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा। कैनबिस के पौधों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सुरक्षित अभिरक्षण का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा। अनुज्ञप्ति-प्राप्त भण्डागार कैनबिस पौधों के प्राधिकृत खेती क्षेत्र के भीतर ही स्थित होगा।

(5) परिसर की सुरक्षा— अनुज्ञप्तिधारी कृषक, —

(क) भाण्डागार का अभिकल्प इस प्रकार करेगा कि उसमें अनधिकृत प्रवेश न हो सके तथा भाण्डागार में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा। भाण्डागार का नक्शा /आरेख संबंधित क्षेत्रीय समाहर्ता (आबकारी) द्वारा विधिवत अनुमोदित होगा।

(ख) कटाई की गई कैनबिस के पौधों के अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल एवं भाण्डागार में प्रवेश केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहे, जिनकी उपस्थिति उनके शासकीय कर्तव्यों की प्रकृति अथवा उपज की सुरक्षा, विक्रय अथवा पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक हो।

(घ) अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागार में प्रवेश करने अथवा वहाँ से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(ङ) परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, निगरानी कैमरे अथवा सीसीटीवी स्थापित करेगा।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर के मुख्य बाह्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्पष्ट रूप से एक सूचना-पट्ट लगाएगा, जिस पर रंगे हुए अक्षरों में निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे:-

(i) " कैनबिस के पौधों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर । प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध"

(ii) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, संपर्क विवरण, अनुज्ञप्ति की अवधि, जी पी एस निर्देशांक, तथा उसके द्वारा स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या, हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी या दोनों भाषाओं में अंकित होगी।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित नारे अथवा पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

(6) खेती एवं भाण्डागारण का अनुश्रवण:- औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस के पौधों की खेती एवं भण्डारण के अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत होंगे-

(क) राज्य कर एवं आबकारी विभाग का ऐसा अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो।

(ख) कृषि विभाग का ऐसा अधिकारी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ अथवा कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकारी के पद से नीचे के पंक्ति का न हो।

(ग) पुलिस विभाग का ऐसा अधिकारी, जो उप पुलिस अधीक्षक के पद से निम्न पंक्ति का न हो, उसके साथ राज्य कर एवं आबकारी विभाग का कम-से-कम एक अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे पंक्ति का न हो, उपस्थित हो।

(घ) राजस्व विभाग का ऐसा अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से निम्न पंक्ति का न हो, परंतु उसके साथ राज्य कर एवं आबकारी विभाग का कम-से-कम एक अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे पंक्ति का न हो, उपस्थित हो।

(7) कृषक द्वारा कैनबिस पौधों के निपटान की रीति:- इस आदेश के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस पौधों (चरस एवं गांजा को उपवर्जित करके) की खेती हेतु अनुज्ञप्ति धारण करने वाला प्रत्येक कृषक, कैनबिस पौधों की प्रत्येक फसल की कटाई के उपरांत, इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उपज को इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागार में स्थानांतरित करेगा। वह कैनबिस पौधों का निपटान निम्नलिखित रीति से करेगा:-

(क) राज्य के भीतर किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माता को उपज का विक्रय करके परंतु ऐसी कोई भी उपज, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रपत्र में जारी अनुज्ञापत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप सीएच-पी में जारी परिपत्र के बिना विनिर्माता तक परिवहित नहीं की जाएगी, अथवा

(ख) यदि परिस्थितियों अपेक्षित करें, तो निम्नलिखित विधियों द्वारा उसका विनष्टीकरण कराकर:-

(i) कम्पोस्टिंग- पादप अपशिष्ट को कृषि अथवा उद्यानिकी उपयोग हेतु जैविक कम्पोस्ट अथवा मल्य में परिवर्तित करना।

(ii) अवायवीय अपघटन-ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नियंत्रित सूक्ष्मजीवी अपघटन द्वारा जैव-पिण्ड का प्रसंस्करण कर बायोगैस अथवा जैव उर्वरक का उत्पादन करना।

(iii) जैव-प्रसंस्करण- पादप अवशेषों का रूपांतरण औद्योगिक उपयोग की सामग्रियों, जैसे फाइबर बोर्ड, इन्सुलेशन सामग्री अथवा जैव-ईंधन में करना।

(iv) भूमि पर उपयोग-पर्यावरणीय विनियमों के अधीन विघटित जैविक पदार्थ का मृदा-संशोधक के रूप में भूमि पर उपयोग करना।

(v) अग्नि द्वारा दहन अथवा अन्य किसी विधि से उसका विनष्टीकरण कराना।

अनुज्ञप्तिधारी कृषक इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व सूचना देगा, जो इस संबंध में अपनी रिपोर्ट समाहर्ता (आबकारी) को प्रस्तुत करेगा। समाहर्ता (आबकारी), जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर उक्त उपज के विनष्टीकरण के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करेगा। विनष्टीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का समुचित अभिलेखीकरण तथा वीडियोग्राफी की जाएगी। विनष्टीकरण के उपरांत, जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समाहर्ता (आबकारी) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(8) विवरणियों का प्रस्तुतिकरण— प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त हेम्प कृषक तथा भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति के एक माह के भीतर, इस आदेश से संलग्न प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(9) परिसर की सुरक्षा एवं संरक्षण— प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित सुरक्षा एवं संरक्षा उपायों का अनुपालन करेगी—

(क) स्थल का अभिकल्पनाद इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें अनधिकृत प्रवेश न हो सके;

(ख) प्रत्येक स्थल के चारों ओर ऐसी भौतिक घेराबंदी की जाएगी, जिससे अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके;

(ग) स्थल की परिधि की निरंतर निगरानी दृश्य रिकार्डिंग उपकरणों द्वारा की जाएगी, ताकि स्थल में किसी भी अनधिकृत प्रवेश अथवा उसके प्रयास का पता लगाया जा सके। ऐसे उपकरण, जिन परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जा रहा हो, उनमें किसी भी अनधिकृत प्रवेश, उसके प्रयास अथवा अवैध गतिविधि का दृश्य रिकार्ड करने में सक्षम होंगे।

(घ) स्थल की परिधि को ऐसे अतिक्रमण पहचान तंत्र द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जो चौबीसो घंटे संचालित रहेगा तथा किसी भी अनधिकृत प्रवेश, उसके प्रयास अथवा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ के किसी भी प्रयास का पता लगाने में सक्षम होगा। उक्त अतिक्रमण पहचान तंत्र की निरंतर निगरानी की जाएगी।

(ङ) प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण इकाई में प्रवेश करने अथवा वहाँ से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा।

(च) स्थल पर किसी भी अनधिकृत प्रवेश अथवा अनधिकृत प्रवेश के प्रयास का अभिलेख संधारित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे

(i) घटना की तारीख एवं समय; तथा

(ii) उसके प्रत्युत्तर में की गई कार्यवाही तथा उस कार्यवाही की तारीख एवं समय।

(छ) अनधिकृत प्रवेश अथवा उसके प्रयास की किसी भी घटना की सूचना/घटना के घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर जिला आबकारी अधिकारी को दी जाएगी। रिपोर्ट में घटना से संबंधित सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे, जिनकी अपेक्षा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जाए। जिला आबकारी अधिकारी अधिनियम और इस आदेश के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(ज) जिन कक्षों में कच्चा कैनबिस का पौधा कैनबिस पौधे के उत्पाद तथा कैनबिस पौधे का तेल रखा जाएगा, उन कक्षों पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग का राजस्व ताला लगा होगा।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर के मुख्य बाह्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्पष्ट रूप से एक सूचना पट्ट लगाएगा, जिस पर रंगे हुए अक्षरों में निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे:—

(i) “कैनबिस के पौधों भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध”

(ii) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, संपर्क विवरण, अनुज्ञप्ति की अवधि, जी पी एस निर्देशांक तथा उसके द्वारा स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या, हिन्दी अथवा अंग्रेजी या दोनों भाषाओं में।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित नारे अथवा पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

(10) विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले लेखे:— इस आदेश के अधीन कैनबिस का कब्जा रखने वाली प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई—

(क) इस आदेश के अधीन संधारित रजिस्टर में समय-समय पर प्राप्त, उपयोग की गई तथा भण्डारित कैनबिस के पौधों के उपज का लेख रखेगी। लेख स्पष्ट, शुद्ध एवं आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण किए गए रजिस्टर में प्रतिदिन अद्यतन किए जाएंगे। क्रय से संबंधित प्रत्येक संव्यवहार में क्रय की तिथि, मूल्य, उस अनुज्ञप्ति प्राप्त कृषक का नाम एवं पता, जिससे क्रय किया गया है, सहित सभी आवश्यक विवरण अंकित किए जाएंगे;

(ख) बहियों एवं अभिलेख इस प्रकार संधारित किए जाएंगे कि वे इस आदेश के अधीन देयताओं, दायित्वों तथा अनुपालन के सत्यापन के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराएँ तथा संदाय किए गए अनुज्ञप्ति शुल्क अथवा दावा की गई एवं प्राप्त की गई किसी धनवापसी अथवा रियायत के सत्यापन में सहायक हों;

(ग) उक्त लेखों को लेखा-पुस्तिका में की गई अंतिम प्रविष्टि की तिथि से कम-से-कम पाँच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा तथा आबकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक पखवाड़े के भीतर, विगत वर्ष के दौरान कैनबिस के पौधों की उपज की खपत तथा वर्ष के अंतिम दिन उपलब्ध स्टॉक के संबंध में, इस आदेश के अधीन राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में, आबकारी अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई जाएगी:

परंतु यह कि इस आदेश के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाले लेखों एवं अभिलेखों के अतिरिक्त, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, आदेश द्वारा, इस आदेश के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु ऐसे अन्य अभिलेखों को अनुरक्षित करने, ऐसे प्ररूप में विवरणियाँ प्रस्तुत करने तथा ऐसे अभिलेख रखने का निर्देश दे सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

5. कैनबिस के पौधों की उपज के परिवहन हेतु परमिट एवं पारा (1) इस आदेश के अधीन कैनबिस के पौधों की उपज के क्रय एवं उसके परिवहन हेतु कोई भी अधिकृत व्यक्ति परमिट प्रदान किए जाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।
(2) जिला आबकारी अधिकारी, आवश्यक समझी जाने वाली जांच करने के उपरांत, अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय प्ररूप में परमिट जारी कर सकेगा।
(3) परमिट धारक अपने परमिट में उल्लिखित कैनबिस के पौधों की उपज केवल इस आदेश के अधीन अनुज्ञापित स्रोतों से ही प्राप्त करेगा।
(4) कैनबिस की पौधों की प्रत्येक खेप के साथ संबंधित भाण्डागार के प्रभारी द्वारा प्ररूप सीएच-पी में जारी किया गया पास संलग्न होना अनिवार्य होगा।
(5) कैनबिस के पौधों (चरस एवं गाजा को अपवर्जित करके) का समरत परिवहन केवल जी पी एस सक्षम वाहनों के माध्यम से ही किया जाएगा।
6. अनुज्ञप्ति में संशोधन— कैनबिस के पौधों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु प्ररूप सीएच-एम में अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात उपयुक्त आदेश पारित करेगा। अनुज्ञप्ति में केवल निम्नलिखित परिवर्तनों के संबंध में संशोधन किया जाएगा:—
(क) उस स्थल अथवा परिसर के भीतर भवन के पते में परिवर्तन, जहाँ अनुज्ञप्ति के अधीन गतिविधि करने की अनुमति प्रदान की गई है, अथवा
(ख) स्वामी, साझेदार, निदेशक, क्लब, समिति, सोसायटी आदि, यथास्थिति, के नाम में परिवर्तन:

परंतु यह कि यदि कोई अनुज्ञप्तिधारक स्थल योजना में ऐसा परिवर्तन करना चाहता है जिसके कारण भौतिक सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाना आवश्यक हो, तो वह उक्त परिवर्तन हेतु आवेदन करने से पूर्व राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारक की पहचान (1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अपने नाम का उपयोग कैनबिस के पौधों से संबंधित सभी कार्यों, जिनमें विज्ञापन, क्रय आदेश, प्रेषण दस्तावेज तथा चालान सम्मिलित हैं, में अपनी पहचान के रूप में करेगा।
(2) अनुज्ञप्तिधारक, जहाँ अपेक्षित हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्या(डीआईएन) के रूप में अपना पहचान प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
8. कैनबिस के पौधों की खेती, प्रसंस्करण एवं विनिर्माण पर प्रतिबंध— कोई भी व्यक्ति इस आदेश के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार किए जाने के अतिरिक्त कैनबिस के पौधों की खेती, प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण में संलग्न नहीं होगा।
9. शास्ति संबंधी उपबंध—
(1) यदि इन नियमों के अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारक इन नियमों में विनिर्दिष्ट लेखे एवं अभिलेख (समय पर विवरणियों प्रस्तुत करना सहित) अनुरक्षित करने में विफल रहता है, तो स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्यथा उपबंधित होने के अतिरिक्त, वह ऐसे दंड का भागी होगा जो बीस हजार रुपये से कम तथा पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।
(2) इस नियम के पूर्वगामी (उपबंध के अधीन दंड, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात समाहर्ता (आबकारी) द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।
10. विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई द्वारा देय विभिन्न कैनबिस के पौधों की उपज पर शुल्क :—
(1) प्ररूप सीएच—एम में अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई, अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार से अपने परिसर तक कैनबिस के पौधों की उपज की प्राप्ति हेतु परमिट प्राप्त करने से पूर्व, सरकार को प्राप्त की गई कच्ची अथवा अर्द्ध—प्रसंस्कृत कैनबिस के पौधों की उपज पर ₹10 (दस रुपये) प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्ति शुल्क का भुगतान करेगी।
(2) इसके अतिरिक्त, विनिर्माण इकाई कैनबिस तेल तथा अन्य सभी कैनबिस के पौधों के उत्पादों के उत्पादन पर शुल्क योग्य राशि के पंद्रह प्रतिशत के बराबर उत्पादन शुल्क सरकार को अदा करेंगी, जो विधि के अधीन लागू अन्य सभी शुल्कों एवं उपकरों के अतिरिक्त होगा। यह उत्पादन शुल्क संबंधित माह की मासिक विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व शासकीय कोषागार में जमा किया जाएगा।
11. अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन:— कोई भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, निजी प्रतिष्ठान अथवा प्ररूप सीएच—एम में

कैनबिस के पौधों के प्रसंस्करण अथवा औद्योगिक कैनबिस उत्पादों के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु प्ररूप सीएच-6 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए संबंधित समाहर्ता (आबकारी) के माध्यम से राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकेगा। आवेदक को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा—

(क) यदि आवेदक कोई व्यक्ति है, तो यह नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वत, गबन, पद अथवा कर्तव्यों के दुरुपयोग, प्रभाव के व्यापार अथवा किसी भी विधि के अधीन मादक द्रव्य संबंधी अपराध के लिए दोषसिद्ध न हुआ हो;

(ख) आवेदक पूर्व से ही समान प्रकार के अनुसंधान कार्य में संलग्न हो,

(ग) आवेदक प्रस्तावित अनुरोधान कार्य के संबंध में अपने हाइपोथीसिस की प्रति राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा,

(घ) औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए कैनबिस की खेती के क्षेत्र/क्षेत्रों को कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। ऐसा क्षेत्र बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सधन एवं भौगोलिक रूप से सतत क्षेत्र तक सीमित रहेगा तथा कैनबिस की खेती केवल अधिसूचित क्षेत्र/क्षेत्रों में ही की जाएगी।

(2) अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति का अनुदान:— राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं परीक्षण के प्रयोजनार्थ प्रपत्र में सीएच-आर अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी:—

(क) यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय तथा अविक्रेय होगी,

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अनुसंधान एवं परीक्षण हेतु खेती से संबंधित अपनी समस्त गतिविधियाँ केवल इस आदेश के उपबंधों के अनुसार ही संचालित करेगा,

(ग) अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए औद्योगिक प्रयोजनार्थ कैनबिस के पौधों की खेती का क्षेत्रफल दो हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा,

(घ) अनुज्ञप्तिधारी अनुसंधान एवं परीक्षण के प्रयोजनार्थ उत्पादित, प्राप्त तथा उपयोग में लाई गई औद्योगिक हेम्प की प्रत्येक खेप का अभिलेख अनुरक्षित करेगा;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, उसे वितरित किसी भी लॉट अथवा बैच के कैनबिस के पौधों के सभी नमूनों तथा उन नमूनों से प्राप्त समस्त औद्योगिक हेम्प को, नमूनों के परीक्षण की समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर नष्ट करेगा;

(च) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि खेती, अनुसंधान तथा भंडारण स्थल ऐसे भौतिक अवरोध से सुरक्षित हों, जिससे अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके;

(2) अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के समस्त उपबंधों का पालन करेगा। इस आदेश के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किए जाने की दशा में अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा निरस्त की जा सकेगी।

(3) अनुज्ञप्ति धारक निम्नलिखित गतिविधियों कर सकेगा:—

- (i) औद्योगिक के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) की खेती करना;
- (ii) औद्योगिक के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) का कब्जा/धारण करना;
- (iii) औद्योगिक के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) का प्रसंस्करण करना;
- (iv) अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट स्थलों के मध्य औद्योगिक हेम्प (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) का परिवहन करना, भेजना अथवा सुपुर्द करना;
- (v) वैज्ञानिक अथवा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए किसी भी माध्यम से उसके रासायनिक अथवा भौतिक गुणों में परिवर्तन करके औद्योगिक के पौधों का उत्पादन करना:

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में उपलब्ध किसी भी उपज अथवा उत्पाद का किसी भी प्रकार से विक्रय करना अनुज्ञेय नहीं होगा।

(vi) इस आदेश के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके तद्धीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के सभी उपबंध लागू होंगे।

12. कैनबिस के पौधों का उत्पाद अथवा उपज के विनष्टीकरण की प्रक्रिया (1) जब इस आदेश के अधीन अधिकृत किसी अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई के कब्जे में विद्यमान कोई कैनबिस के पौधों का उत्पाद अथवा उपज उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, तो ऐसी इकाई उक्त उत्पाद/उपज को विनष्टीकरण हेतु तत्काल अधिकृत आबकारी अधिकारी को सुपुर्द करेगी। अधिकृत आबकारी अधिकारी इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समाहर्ता (आबकारी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समाहर्ता (आबकारी) उक्त उपज के विनष्टीकरण हेतु दो आबकारी अधिकारियों तथा एक राजस्व अधिकारी की एक समिति गठित करेगा। विनष्टीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का विधिवत अभिलेखीकरण तथा वीडियोग्राफी की जाएगी। विनष्टीकरण के उपरांत समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट समाहर्ता (आबकारी) को प्रस्तुत करेगी।

(2) समाहर्ता (आबकारी), ऐसे अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माता से आवेदन प्राप्त होने पर, जिसने विनष्ट की गई उपज अथवा उत्पाद की मात्रा पर प्राप्ति शुल्क तथा उत्पादन शुल्क का भुगतान किया हो, अपने द्वारा निर्धारित सीमा तक उक्त प्राप्ति शुल्क एवं उत्पादन शुल्क की धनराशि के प्रतिदाय का आदेश पारित कर सकेगा।

13. उत्पादन शुल्क का भुगतान तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना:— प्रत्येक कैनबिस के पौधों का औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई, माह के दौरान निष्कर्षित औद्योगिक कैनबिस तेल पर विहित उत्पादन शुल्क का भुगतान करेगी। वह आगामी माह की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर विहित प्रपत्र में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह अपनी क्रय, उत्पादन तथा विक्रय का विवरण प्रस्तुत करेगा। जिस अनुज्ञप्तिधारी के पास एक से अधिक अनुज्ञप्तियाँ हों, वह प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए पृथक-पृथक रिटर्न प्रस्तुत करेगा।
14. अनुज्ञप्तियों के प्रदान एवं नवीनीकरण को विनियमित करने वाले उपबंध
- (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति किसी विनिर्दिष्ट परिसर के संबंध में किसी निश्चित अनुज्ञप्तिधारक को प्रदान की जाएगी।
- (2) अनुज्ञप्ति केवल निम्नलिखित को प्रदान की जा सकेगी:—
- (क) किसी व्यक्ति को;
- (ख) भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित निकाय को;
- (ग) हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति को;
- (घ) साझेदारी फर्म को;
- (ङ) हिन्दू अविभाजित परिवार को;
- (च) पट्टाधारक को;
- (छ) किसी सरकारी विभाग को; तथा
- (ज) किसी सरकारी उपक्रम को।
- (3) किसी व्यक्ति को अथवा किसी निगमित निकाय की दशा में उसके किसी निदेशक या साझेदार को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी, यदि यह नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वत, गबन, पद अथवा कर्तव्यों के दुरुपयोग, प्रभाव के व्यापार अथवा किसी भी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो।
- (4) जब अनुज्ञप्ति उपरोक्त खण्ड (2) में वर्णित किसी कंपनी, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, सरकारी विभाग अथवा सरकारी उपक्रम को प्रदान की जाती है, तब उसने अनुज्ञप्तिधारक की ओर से कार्य करने वाले ऐसे प्रतिनिधि का नाम अंकित किया जाएगा, जो भारत के आपराधिक न्यायालयों के पूर्ण अधिकार क्षेत्र के अधीन हो। यथास्थिति कंपनी, समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, शासकीय विभाग अथवा शासकीय उपक्रम के आवेदन पर, अनुज्ञप्ति प्रदान अथवा नवीनीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रतिनिधि को परिवर्तित किया जा सकेगा।

(5) जब अनुज्ञप्ति किसी ऐसे साझेदारी फर्म को प्रदान की जाती है जो किसी अधिनियम के अधीन निगमित नहीं है, तब उस साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों के नाम अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(6) साझेदारी की दशा में, सभी मूल साझेदारों के लिखित आवेदन पर, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी किसी साझेदार को जोड़ अथवा हटाने की अनुमति दे सकेगा।

(7) साझेदारी फर्म को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, फर्म के विघटन पर समाप्त मानी जाएगी, तथापि, सरकार को हुई किसी हानि तथा साझेदारी फर्म द्वारा सरकार के प्रति ग्रहण किए गए समस्त दायित्वों के निर्वहन के लिए सभी साझेदार संयुक्त एवं पृथक् रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) किसी अनुज्ञप्ति को नवीनीकृत तब माना जाएगा, जब सक्षम प्राधिकारी उसकी समाप्ति अवधि के पश्चात उसरी अनुज्ञप्तिधारक के पक्ष में उसी परिसर के संबंध में उसके प्रवर्तन को जारी रखने की अनुमति प्रदान करे और जहाँ कोई अनुज्ञप्ति समर्पण, निरस्तीकरण, नवीनीकरण न होने अथवा अन्य किसी कारण से समाप्त हो जाती है, अथवा जहाँ ऐसे परिसर या व्यक्ति के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी की जानी हो जिसे पूर्व में अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई हो, वहाँ नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15. कैनबिस के पौधों की उपज का कब्जा, परिवहन आदि—

कैनबिस के पौधों के कब्जे, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, क्रय, उपभोग अथवा उपयोग पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होगी—

(1) अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक द्वारा परिवहन— कैनबिस पौधे का अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक, जिला आबकारी अधिकारी से प्ररूप सीएच—टी में परिवहन परमिट तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र में जारी पास प्राप्त करने के उपरांत इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माता तक अपनी उपज का परिवहन कर सकेगा। परिवहन के दौरान कैनबिस पौधे की सुरक्षित अभिरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक का होगा। जिला आबकारी अधिकारी परमिट की चार प्रतियों तैयार करेगा। पहली प्रति आवेदक को प्रदान की जाएगी, दूसरी विनिर्माण इकाई के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी, तीसरी प्रति संबंधित बंदरगाह अथवा डिपो स्थित स्थान के आबकारी प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथा चौथी प्रति जिला आबकारी अधिकारी अपने अभिलेख हेतु अनुरक्षित रखेगा।

(2) अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक द्वारा विक्रय— कोई भी अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक, इस आदेश में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अतिरिक्त, कटाई की गई कच्ची अथवा अर्द्ध—प्रसस्कृत कैनबिस के पौधों की उपज का निपटान नहीं करेगा।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा— परिवहन के प्रयोजन हेतु कोई भी व्यक्ति उतनी मात्रा से अधिक कैनबिस के पौधों की उपज अपने कब्जे में नहीं रखेगा, जितनी मात्रा के परिवहन

अथवा अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माता या प्रसंस्करण इकाई को आपूर्ति करने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो।

(4) अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई द्वारा कैनबिस की पौधे का परिवहन—(क) जिला आबकारी अधिकारी, इन नियमों से संलग्न प्ररूप सीएच—टी में किसी अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई को परमिट में विनिर्दिष्ट मात्रा की कटाई की गई कैनबिस के पौधों के परिवहन हेतु परमिट प्रदान कर सकेगा।

(ख) परमिट प्रदान करते समय जिला आबकारी अधिकारी उसकी चार प्रतियों तैयार करेगा। पहली प्रति आवेदक को, दूसरी विनिर्माण इकाई के प्रभारी अधिकारी को, तीसरी संबंधित बंदरगाह अथवा डिपो स्थित स्थान के आबकारी प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथा चौथी प्रति जिला आबकारी अधिकारी अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में प्ररूप सीएच—टी में जारी परिवहन परमिट में उस जिले के अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषकों के नाम विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनसे कटाई की गई उपज प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें उसके द्वारा जारी किए गए समस्त परमितों का पूर्ण अभिलेख रखा जाएगा।

(ङ) कटाई की गई कैनबिस के पौधों की प्रत्येक खेप के साथ भाण्डागार के प्रभारी प्ररूप में जारी पास संलग्न होगा। भाण्डागार का प्रभारी पास की चार प्रतियाँ तैयार करेगा। पहली प्रति आवेदक को, दूसरी विनिर्माण इकाई के प्रभारी अधिकारी को, तीसरी संबंधित बंदरगाह अथवा डिपो स्थित स्थान के आबकारी प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथा चौथी प्रति भाण्डागार के प्रभारी द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।

(5) पारगमन में खेप का निरीक्षण— राज्य कर एवं आबकारी विभाग का सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न होने वाला कोई भी अधिकारी, किसी भी समय पारगमन में कैनबिस के पौधों की किसी खेप का निरीक्षण कर सकेगा। यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि पारगमन में ले जाई जा रही कैनबिस के पौधों की मात्रा इन नियमों के अधीन जारी परमिट एवं पास की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो उक्त खेप को अभिरुद्ध किया जाएगा तथा इसकी सूचना समाहर्ता (आबकारी) को दी जाएगी। समाहर्ता (आबकारी), परमिट एवं पास धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात उक्त खेप को जब्त कर सकेगा। इन नियमों के अधीन की गई कार्यवाही, परमिट एवं पास धारक के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी अपराध के अभियोजन पर किसी प्रकार का प्रतिषेध नहीं मानी जाएगी।

(6) अनुज्ञप्ति का समर्पण, निलंबन एवं निरस्तीकरण— अनुज्ञप्ति के समर्पण, निलंबन एवं निरस्तीकरण से संबंधित उपबंध, जैसा कि हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के नियम 13-क में विनिर्दिष्ट है, इस आदेश पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16. छूट— इस आदेश में निहित किसी भी उपबंध का राज्य सरकार द्वारा हेम्प के क्रय, कब्जे अथवा विक्रय पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

17. अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसरों का निरीक्षण— अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसरों के निरीक्षण से संबंधित उपबंध, जैसा कि हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के विषय में विनिर्दिष्ट है, इस आदेश पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

18. जब्त वस्तुओं अथवा सामग्री का निस्तारण— अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन जब्त किए गए, मादक औषधि से भिन्न सभी वाहन, वस्तुएँ अथवा अन्य सामग्री का, जहाँ अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से समाहर्ता (आबकारी) अथवा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाएगा।

19. अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन—अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन से संबंधित उपबंध, जैसा कि हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 में विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

20. भू-राजस्व के बकाया के रूप में देयों की वसूली—इस आदेश के अधीन देय कोई भी परमिट शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क, शास्ति अथवा अन्य कोई देय राशि, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

21. अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन:— अनुज्ञप्तिधारक तथा परमिटधारक, अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन करेंगे। उपर्युक्त किसी भी उपबंध का अनुपालन न करने की दशा में अनुज्ञप्तिधारक अथवा परमिटधारक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।

22. व्यक्तिगत उपयोग पर प्रतिबंध:— अनुज्ञप्तिधारक तथा परमिटधारक न तो अपने खेत में उगाए गए हेम्प पौधे के अनुमत भाग के अतिरिक्त किसी अन्य भाग का उपयोग, उपभोग, विक्रय अथवा परिवहन करेंगे और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय करने की अनुमति देंगे। अनुज्ञप्तिधारक अपने खेत में उगाए गए पौधे के किसी भी भाग का भंडारण, परिवहन अथवा निस्तारण इस आदेश के उपबंधों के अनुसार करेगा।

23. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण:— अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उनके अधीन बनाए गए इस आदेश के अंतर्गत सद्भावपूर्वक किए गए अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति, जो इस अधिनियम, नियमों या इस आदेश के अधीन कोई शक्ति का प्रयोग कर रहा हो अथवा कोई कर्तव्य या दायित्व निर्वहन कर रहा हो, के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, आरंभ अथवा संचालित नहीं की जाएगी।

24. प्राधिकारियों के गठन संबंधी उपबंध:—राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समीक्षा समितियों के गठन तथा कार्मिकों की तैनाती से संबंधित उपबंध, जैसा कि हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के खण्ड 34—क से 34—ग में विनिर्दिष्ट है, इस आदेश पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

“अनुसूची-1”

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति के प्रकार	फीस
1.	सीएच -2 (औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भाग) (चरस एवं गांजा को उपवर्जित करके) की खेती हेतु कृषक अनुज्ञप्ति।	₹2,000 प्रति बीघा
	औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कृषक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण शुल्क	₹2,000 प्रति बीघा
2.	सीएच-4 कैनबिस (भाग) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भाण्डागारण अनुज्ञप्ति।	₹10,000 प्रति बीघा
3.	सीएच-एम (विनिर्माण अनुज्ञप्ति) औद्योगिक प्रयोजनों हेतु प्रसंस्करण/विनिर्माण वार्षिक लाइसेंस (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके)	₹10,00,000 /—
	नवीनीकरण	₹10,00,000 /—
	सीएच-एमसी-2 (विनिर्माण कृषक अनुज्ञप्ति) औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस की खेती (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) विनिर्माण वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹10,00,000 /— प्रति बीघा
	नवीनकरण	₹10,00,000 /— प्रति बीघा
	सीसी-(एमएचसी)-एम-4 (कैनबिस (भाग) के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके)	₹10,00,0 /—
4.	सीएच-आर (औद्योगिक प्रयोजनों कैनबिस (भाग) पर अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके)	₹1,00,000 /—
5.	सीएच-टी (कटाई की गई औद्योगिक भाग के परिवहन हेतु परमिट)	₹2,000 /—

25. नव-समाविष्ट अनुसूची-1 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप सम्मिलित किए जाएंगे,
अर्थात्:-

प्ररूप सीएच-1

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन सेवा में

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला

सत्यापित फोटोग्राफ
चिपकाए

श्रीमान/श्रीमती,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. पता.....
4. जिस भूमि पर औद्योगिक हैम्प की खेती की जानी है उसका विवरण.....
5. भाण्डागार के ब्यौरे
6. खसरा एवं खतौनी संख्या.....
7. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र.....
8.रूपये का अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख)
और हिम एवं संख्या खेतीहर के अनुज्ञप्ति के ब्यौरे
(अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया).....
9. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अनियोजित किया गया हो नही उसके विरुद्ध विधिक न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज/उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

तारीख.....

मोबाइल नम्बर.....

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम.....

सुपुत्र श्री.....

निवासी.....

राज्य.....

स्थान.....

तहसील.....

जिला.....

भूमि का विवरण.....

भूमि का क्षेत्रफल.....

खसरा संख्या.....

खतौनी संख्या.....

जीपीएस निर्देशांक.....

श्री/श्रीमती/सुश्री.....कोका अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने पर निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अनुसार औद्योगिक हैम्प प्रयोजन के लिए विनिर्माता कृषक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह अनुज्ञप्तिसेतक वैध रहेगा।
2. यह अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगा।
3. अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी आदेशों के प्रावधानों का पालन करेगा।
4. समाहर्ता (आबकारी) को उक्त आदेश के खंड-16 के अधीन इस अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. अनुज्ञप्ति धारी न तो स्वयं औद्योगिक हैम्प या उसके किसी भाग का व्यक्तिगत उपयोग करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उसके किसी भाग का उपयोग करने देगा।
6. अनुज्ञप्ति धारी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी आदेशों के अनुसार अपनी उपज का समुचित अभिलेख (रिकार्ड) संधारित करेगा।
7. अनुज्ञप्ति धारी वैध परिवहन अनुज्ञा-पत्र (परमिट) के बिना अपनी उपज के किसी भी भाग का परिवहन नहीं करेगा।
8. अनुज्ञप्ति में वर्णित परिसर/खेत के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर औद्योगिक हैम्प की खेती नहीं करेगा।
9. अनुज्ञप्ति धारी अधिनियम के अधीन जारी आदेश में विनिर्दिष्ट सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करेगा।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप सीएच-2 क

औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की कटाई का अभिलेख
अनुज्ञाप्तिधारी खेतीहर द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले हरित वानस्पतिक सामग्री के
तारीखवार अभिलेख

बैच संख्या	तारीख	समय	किलाग्राम में ग्राम	पदाभिहीत आबकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षक के पश्चात् टिप्पणी यदि कोई हो

अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा पदाभिहीत आबकारी अधिकारी द्वारा मापे जाने के पश्चात्
अनुरक्षित किए जाने वाले सूखी वनस्पतिक सामग्री के अभिलेख

बैच संख्या	तारीख	समय	किलाग्राम में ग्राम	अनुज्ञाप्तिधारी को प्रधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	पदाभिहीत आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप सीएच-3

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) के भाण्डागारण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन सेवा में

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला नाम.....

सत्यापित फोटोग्राफ
चिपकाए

श्रीमान/श्रीमती,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक हैम्प के गोदाम के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. पता.....
4. गोदाम के ब्यौरे जहां पर कैनबिस भण्डारित किया जाना है.....
5. खसरा एव खतौनी संख्या.....
6. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र.....
7.रुपये का अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख) और हिम एवं संख्या
8. खेतीहर के अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया).....
.....

आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अनियोजित किया गया हो नही उसके विरुद्ध विधिक न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज/उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

तारीख.....

मोबाइल नम्बर.....

प्ररूप सीएच-4

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु के लिए भाण्डागार के लिए अनुज्ञप्ति ।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम.....

प्रारूप सीएच-2 में अनुज्ञप्ति संख्या.....

परिसर का विवरण जहां विक्रय और परिवहन के लिए कैनबिस का भण्डारण किया जाएगा.....

.....

.....

.....

श्री / श्रीमती / सुश्री.....

पुत्र.....

पता.....

को निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर कैनबिस के थोक भण्डारण की अनुज्ञप्ति जारी की जाती है:-

1. यह अनुज्ञप्तिसेतक विधिमान्य होगी।
2. यह अनुज्ञप्ति अनंतरणीय नहीं होगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी विनियमों का पालन करेगा।
4. वह भण्डारित कैनबिस का कोई भाग ना तो स्वयं उपयोग करेगा और न ही अन्य व्यक्तियों को इसका कोई भाग उपयोग करना अनुज्ञप्त करेगा।
5. जब तक इस बाबत क्षेत्र के समाहर्ता (कलैक्टर) द्वारा अनुज्ञप्त प्रदान नहीं की जाती, अनुज्ञप्तिधारी कैनबिस का कोई भाग किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को अंतरित नहीं करेगा।
6. अनुज्ञप्त परिसर में रखे स्टॉक का अनुज्ञप्तिधारी उचित अभिलेख और रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी तोल और माप के लिए मानक उपकरण रखेगा।
8. उक्त अधिनियम और नियमों के उल्लंघन की किसी दशा या क्षेत्र के समाहर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप संख्या सीएच-5

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) के उत्पादों के प्रसंस्करण/विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन सेवा में

आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी
हिमाचल प्रदेश।

अनुप्रमाणित
फोटोग्राफ चिपकाए

महोदय/महोदया,

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक हैम्प के उत्पादों के प्रसंस्करण विनिर्माण की अनुज्ञप्ति जारी करने की कृपा करें।

1. आवेदक का नाम और पदनाम.....
....
2. पिता का नाम.....
....
3. इकाई का नाम.....
.....
4. पता.....
.....
5. अनुज्ञप्ति फीस का विवरण रूपए.....(अं० स०.....तारीख.....
HIMGRN सं०.....)
6. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अनियोजित किया गया है न ही उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई मामला लम्बित है और इस आशय का भी कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अध्याधीन बनाए नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रसंस्करण वह उत्पाद/उपोत्पाद के प्रसंस्करण ओर निपटान के लिए अकेले ही उत्तरदायी होगा।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

तारीख.....

मोबाइल नम्बर.....

प्ररूप सीएच-एम

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) के उत्पादों के प्रसंस्करण/विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम.....

पता.....

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अनुसार औद्योगिक हैम्प उत्पाद के प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए प्ररूप: सीएच-एम के रूप में अनुज्ञप्तिको प्रदान किया जाता है:-

1. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय है।
2. अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों में अधिकथित परिसर की सुरक्षा तथा अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी आयुक्त से प्ररूप सी. सी. – टी0 में परमिट अभिप्राप्त करने के पश्चात् केवल अनुज्ञाप्त कृषक से ही कैनबिस उपापत और परिवहन करेगा।
4. अनुज्ञाप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 और उसके अधधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनयमों की अनुपालना करेगा।
5. अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनयमों के उल्लंघन की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।
6. वह इन नियमों के अधीन यथा विहित सुरक्षा और अभिरक्षा उपायों का सख्ती से अनुसरण करेगा।

जारी करने की तिथि:

आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी
हिमाचल प्रदेश
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप संख्या सीएच-एमसी-1

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन।

सेवा में

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला.....

सत्यापित फोटोग्राफ
चिपकाए

महोदय/महोदया,

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने करें।

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम.....
....
3. पता.....
.....
4. जिस भूमि पर कैनबिस (भांग) की खेती की जानी है, उसका विवरण.....
5. खसरा एवं खतौनी संख्या
6. भूमि का क्षेत्रफल एवं जी.पी.एस. निर्देशांक.....
..
7. भण्डारगृह का विवरण.....
8. अनुज्ञप्ति फीस का विवरण रूपए.....(टी0 आर0 कोष संख्या, तारीख और एच आई एम जी आर एन संख्या).....
9. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा कि उस ने तो किसी अजमानतीय अपराध के अधीन (मुकदमा) (अभियोजित) किया गया है न ही उसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है और इस प्रभाव तक का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबधों और तदधीन बनाए गए के अनुसार औद्योगिक हैम्प की खेती करने तथा उससे उपजा/उप-उत्पादों एकल रूप से उत्तरदायी होगा (यदि आवेदक व्यक्तिक है तो लागू होगा)

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

तारीख.....

मोबाइल नम्बर.....

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति ।

रजिस्टर संख्या.....
 अनुज्ञप्तिधारक का नाम.....
 सुपुत्र.....निवासीराज्य.....स्थान.....
तहसील.....जिला.....भूमि का ब्यौरा.....भूमि की
 क्षेत्र.....खसरा संख्या.....खतौनी संख्या.....जीपीएस
 निर्देशांक.....निम्नलिखित निबधनों शर्तों पररूपये की अनुज्ञप्ति फीस के संदाय
 पर संदाय पर कैनबिस की खेती करने की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है—

1. यह अनुज्ञप्तिसे.....तक विधिमान्य रहेगी ।
2. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय है ।
3. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 और उसके अध्याधीन बनाए गए नियमों का पालना करेगा ।
4. समाहर्ता (कलेक्टर) नियम-33 क के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा ।
5. अनुज्ञप्तिधारी कैनबिस या उसके किसी भाग का उपयोग हो तो अपने निजी उपयोग के लिए करेगा न किसी अन्य व्यक्ति को इसके भाग का उपयोग करने अनुज्ञात करेगा ।
6. अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम और इन नियमों के अनुसार अपने उत्पादों का समुचित अभिलेख अनुरक्षित करेगा ।
7. अनुज्ञप्तिधारी उसके उत्पाद के किसी भाग के विधिमान्य परिवहन अनुज्ञप्तियों के बिना परिवहित नहीं करेगा ।
8. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञाप्त परिसरों खेतों से अन्यथा किसी अन्य खेत में कैनबिस की खेती नहीं करेगा ।
9. अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अधीन उपबंधित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करेगा ।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
 जारी करने वाला प्राधिकारी

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस (भांग) के भाण्डागारण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन सेवा में

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला नाम.....

सत्यापित फोटोग्राफ
चिपकाए

श्रीमान/श्रीमती,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक हैम्प के गोदाम के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. पता.....
4. गोदाम के ब्यौरे जहां पर कैनबिस भण्डारित किया जाना है.....
5. खसरा एव खतौनी संख्या.....
6. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र.....
7.रुपये का अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख) और हिम एवं संख्या
8. खेतीहर के अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया).....

आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अनियोजित किया गया हो नही उसके विरुद्ध विधिक न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज/उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

तारीख.....

मोबाइल नम्बर.....

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस (भांग) के भण्डागार के लिए अनुज्ञप्ति

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम.....

प्रारूप सीएच-एमसी-4 में अनुज्ञप्ति संख्या.....

परिसर का विवरण जहां विक्रय और परिवहन के लिए कैनबिस का भण्डारण किया जाएगा.....

.....

.....

.....

श्री / श्रीमती / सुश्री.....

पुत्र.....

पता.....

को निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर औद्योगिक हैम्प के थोक भण्डारण की अनुज्ञप्ति जारी की जाती है:-

1. यह अनुज्ञप्तिसेतक विधिमान्य होगी।
2. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय होगी।
3. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी विनियमों का पालन करेगा।
4. वह भण्डारित कैनबिस का कोई भाग ना तो स्वयं उपयोग करेगा और न ही अन्य व्यक्तियों को इसका कोई भाग उपयोग करना अनुज्ञप्त करेगा।
5. जब तक इस बाबत क्षेत्र के समाहर्ता (कलैक्टर) द्वारा अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती, अनुज्ञप्तिधारी कैनबिस का कोई भाग किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को अंतरित नहीं करेगा।
6. अनुज्ञप्त परिसर में रखे स्टॉक का अनुज्ञप्तिधारी उचित अभिलेख और रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी तोल और माप के लिए मानक उपकरण रखेगा।
8. उक्त अधिनियम और नियमों के उल्लंघन की किसी दशा या क्षेत्र के समाहर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप सीएच-6

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस के पौधों के अनुसंधान और विश्लेषात्मक परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

सेवा में

जिला प्रभारी
जिला नाम.....

सत्यापित फोटोग्राफ
चिपकाए

श्रीमान/श्रीमती,

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी आदेश, 2026 के अधीन भाग के अनुसंधान और विश्लेषणात्मक के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक/संस्थान/प्रसंस्करण इकाई का नाम.....
.....
2. पिता का नाम (यदि व्यक्ति वैयक्तिक है).....
.....
3. पता.....
4. अनुज्ञप्ति फीस का विवरणरूपये.....(टी आर कोष संख्या तारीख) और हिम एवं जी.आर.एन. संख्या).....
5. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा कि उसे न तो किसी अजमानतीय अपराध के अधीन (मुकदमा) (अभियोजित) किया गया है और न ही नहीं उसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा उस प्रभाव तक का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुसंधान करने के लिए एकल रूप से उत्तरदायी होगा (यदि आवेदक वैयक्तिक है तो लागू होगा)
6. आवेदक द्वारा दायर की जाने वाली प्रकल्पना की प्रति।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

तारीख.....

मोबाइल नम्बर.....

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) के पौधों के अनुसंधान और विश्लेषात्मक परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम.....

परिसर का पता.....

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अनुसार अनुसंधान और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह अनुज्ञप्तिसेतक विधिमान्य होगी।
2. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय होगी।
3. अनुज्ञप्तिधारी केवल स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 और तदधीन बनाए गये नियमों के अनुसार अनुसंधान और परीक्षण के लिए कृषि से संबंधित अपने क्रियाकलापों का संचालन करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी अनुसंधान और परीक्षण के प्रयोजन के लिए उत्पादित, प्राप्त और उपयोग किए जाने वाले कैनबिस के परेषण के लिए अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, समाहर्ता (आबकारी) के पूर्सानुमोदन से, कैनबिस के किसी लॉट या बैच के समस्त नमूने जो उन्हें वितरित किये गये हैं, और उन नमूनों से अभिप्राप्त समस्त कैनबिस को परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात् 90 दिन के भीतर समस्त नष्ट कर देगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान क्षेत्र में कोई अनाधिकृत पहुंच नहीं है।
7. उपरोक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में समाहर्ता (आबकारी) द्वारा अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप सीएच-टी

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस (भांग) के पौधों के परिवहन के लिए परमिट

(चार प्रतियों में दायर किया जाए)

क्रम संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक (कों) का नाम और पता.....

प्रेषि (यों) का नाम और पता.....

श्री.....निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार भांग (कैनबिस) के परिवहन के लिएसेतक प्राधिकृत है।

वहन का ब्यौरा.....

परिवहन की जा रही परेषण के ब्यौरे.....

परिवहन का मार्ग (रूट).....

बंडलों/पंकजों की संख्या.....

कुल अपेक्षित मात्रा.....

यह अनुज्ञप्ति हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन निम्नलिखित निर्बंधनों और शर्तों पर जारी की जा रही है।

1. परेषण परिवहन के दौरान नहीं खोला जायेगा।
2. परमिट.....से.....तक विधिमान्य रहेगा।
3. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन जारी नियमों के उपबंधों का कोई भी उल्लंघन उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

जारी करने की तिथि:

उप आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी)
जिला प्रभारी
जारी करने वाला प्राधिकारी।

प्ररूप सीएच-पी

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु कैनबिस (भांग) के पौधों के परिवहन के लिए पास

(चार प्रतियों में दायर किया जाए)

क्रम संख्या.....

तारीख.....

प्रेषक (कों) का नाम और पता.....

प्रेषि (तियों) का नाम और पता.....

श्री.....निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार भांग (कैनबिस) के परिवहन के लिएसेतक प्राधिकृत है।

वहन का ब्यौरा.....

परमिट का विवरण.....

परिवहन की जा रही परेषण के ब्यौरे.....

परिवहन का मार्ग (रूट).....

बंडलों/पंकजों की संख्या.....

प्रेषण का समय कुल वजन.....

यह अनुज्ञप्ति हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के अधीन निम्नलिखित निर्बंधनों और शर्तों पर जारी की जा रही है।

1. परेषण परिवहन के दौरान नहीं खोला जायेगा।
2. अनुज्ञप्ति.....से.....तक विधिमाम्य रहेगा।
3. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उक्त नियमों के उपबंधों का कोई भी उल्लंघन उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

जारी करने की तिथि:

ए.एस.टी.ई.ओ/एसटीई. ओ
जारी करने वाला प्राधिकारी

आदेश द्वारा,

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**(Authoritative English Text of this Department Order No. EXN-F-(10)-8/2021-Vol-I,
Dated 22nd July, 2026 as required under article 348 (3), of the Constitution of India)**

**Government of Himachal Pradesh
Department of State Taxes and Excise**

File No. EXN-F-(10)-8/2021-Vol-I

Shimla-02, the

22nd July, 2026.

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 14 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985(*No 61 of 1985*), the Governor of Himachal Pradesh hereby makes the following Order for cultivation of any cannabis plant (excluding Charas & Ganja) for industrial purposes only i.e. for processing/extraction and product manufacturing, namely:-

1. Short title, extent and commencement-(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

(2) This Order shall come into force from the date of its publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and shall extend to the whole State of Himachal Pradesh.

2. Definitions- (1) In this order unless the context otherwise requires:-

(a) “Act” means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(b) "Authorized Laboratory" means any State Government laboratory or any laboratory authorized by the State Government or any other National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) Accredited Laboratory within the State or outside the State, or any State or Centre Government scientific institute laboratory equipped with State of the Art instruments in which scientific or technological research experiments and measurement may be performed to test the potency of seed, dried botanical material and other material pertaining to Cannabis plant for industrial purposes.

(c) “Authorized Seed Supplier” means a person or an organization who has been granted a license in Form CC-S by Collector (Excise) as appended in Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989; and

(d) “Agriculturist” means a landowner who cultivates land personally in an estate situated in Himachal Pradesh in accordance with the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972;

- (e) “Agriculture Officer” means Deputy Director Agriculture (DDA)/ District Agriculture Officer (DAO) of the District or any officer nominated by the Department of Agriculture for the purpose of implementation of this order.
- (f) “Collector (Excise)” means any officer appointed by the State Government, under sub-section (2) of section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011.
- (g) “District Nodal Officer” means any officer of the Department of Agriculture notified by the State Government.
- (h) “District Excise Officer ”means Deputy Commissioner State Taxes and Excise or District-in-charge, appointed by the Government under section 6 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011;
- (i) “District Level Review Committee” means the Committee constituted under rule 34-B of Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.
- (j) “Designated Area” means such secured area wherein the licensee can perform any one or all of the activities related to cultivation, extraction, processing, product manufacturing, warehouse, drying/curing/packaging/waste disposal area etc. for industrial use of the Cannabis plants for industrial purposes (excluding Charas & Ganja).
- (k) “dried botanical material” means the Cannabis plant for industrial purposes(excluding Charas & Ganja) or any of its part that has been dried after harvest;
- (l) “dutiable amount” means the sale value of manufactured product from Cannabis plants for industrial purposes exclusive of any taxes;
- (m) “Commissioner of State Taxes and Excise” means the officer appointed by the State Government under sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011;
- (n) “Excise Officer” means and includes every officer invested with the powers of an Excise Officer under the Himachal Pradesh Excise Act, 2011;
- (o) “Essential Narcotic Drug” means any narcotic drug notified by the Central Government for the Medical and Scientific Purposes, which can be used for drug manufacturing;
- (p) “Form” means the form appended to this order;

- (q) “Green botanical material” means the Cannabis plant for industrial purposes (excluding Charas & Ganja) or any of its part that has been freshly harvested;
- (r) “Indigenous seed” means those cannabis plants for industrial purposes seeds that are grown/found in Himachal Pradesh and are native to a particular region or ecosystem of the State, traditionally used and preserved by the local indigenous communities over generations and those seeds which have adapted naturally to the local environment, climate, and soil conditions, often embodying the biodiversity and agricultural heritage of that area;
- (s) “license” means a license granted under this order;
- (t) “licensed cultivator” means any agriculturist or partnership of agriculturists or lease holder or Self-help groups or Farmer Producer Organization(FPO) or any other Association or Society formed for the purpose of management of post-harvest operation or for meeting the requirement of minimum land holding for cultivation or agriculture, horticulture university or research institute or any State Government department which has obtained license in Form CH-2 under this order for growing cannabis plant for industrial purposes(excluding Charas & Ganja)for the purpose of sale to the licensed manufacturer in the State of Himachal Pradesh;
- (u) “licensed manufacturer” means any person, company, corporation, public undertaking, a body corporate, a cooperative society or other society, club, firm, Hindu Undivided family or other association of person which has obtained a license in Form CH-M under this order for possession, processing and sale of Cannabis plant for industrial purposes based products or its derivative for industrial purposes;
- (v) “pass” means a pass granted under this order;
- (w) “permit” means a permit granted under this order;
- (x) “Rules” means Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Rules, 1989.
- (y) “State Drug Controller” means the authority appointed by the State Government and “Director Ayush-cum-Licensing Authority” appointed by the State Government for the purpose of Ayurveda, Yoga, Unani, Sidha and Homoeopathy systems of medicines as per the Drug and Cosmetics Act, 1940 and Rules, 1945;
- (z) “Schedule-I” means the schedule appended to this order;
- (aa) “THC” means Tetrahydrocannabinol;
- (bb) “State” means the State of Himachal Pradesh;
- (cc) “State Government” or “Government” mean the Government of Himachal Pradesh; and

(dd) “State Level Committee” means the Committee constituted under rule 34-A of Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

(2) Words and expressions used in these order but not defined therein shall have the same meanings as assigned to them in the Act and rules made thereunder.

3. Cultivation of the Cannabis plants for industrial purposes-The cultivation of the Cannabis plant for industrial purposes shall be subject to the following conditions and restrictions, namely:-

(1) Procurement of Seeds:

(a) (i) For cultivation of cannabis for medical & scientific purpose or cannabis plant for industrial purposes, the seeds shall be procured by the licensed cultivator locally(indigenously) or from the authorized seed suppliers within the State or from other States subject to the fulfillment of following conditions:-

(ii) In case of seeds imported from other States and the seeds procured within the State (including local/ indigenous seeds), the Cultivator licensee shall furnish to the District Nodal Officer of the Department of Agriculture of concerned district, atleast 21 days prior to the cultivation of those seeds, documents pertaining to the purchase of the seeds including a certificate of analysis issued by the authorized seed supplier from the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories(NABL lab) or any other Government authorized lab specifying the strength and concentration of cannabinoids including type of seed (Cannabis or Cannabis plant for industrial purposes, Feminized or otherwise), range of cannabinoid profiles, including variable levels of Tetrahydrocannabinol(THC) and Cannabidiol(CBD).

(iii) For industrial use of indigenous seed or seed imported from other State feminized seeds or otherwise or combination of both can be used.

(b) License for authorized seed supplier:- Any person intending to obtain license of Authorized Seed Supplier for purchase, storage and supply of cannabis or Cannabis plant for industrial purposes seeds to the licensed cultivator under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 shall apply to the concerned District Nodal Officer in Form CC-S1 appended to the above rules who shall further forward the application alongwith recommendations to the District Excise Officer who shall further forward the same to the Collector (Excise) concerned alongwith recommendations. The License shall be granted by

the Collector (Excise) of the concerned zone for a period of one year in Form CC-S appended to the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 on payment of license fee as specified in Schedule- I annexed to the above rules. The license shall be subject to renewal on payment of renewal fee as specified under Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

Provided that the Authorized Seed Supplier holding license in Form CC-S shall not be authorized to sell seeds to licensees other than the licensees holding license in Form CC-2, CH-2, CC-MC-2, CH-MC-2, CC-R and CH-R under this order:

Provided further that the Authorized Seed Supplier holding license in form CC- S shall store in his premises only those seeds in respect of which the certificate of analysis has been obtained from the Authorized Laboratory. The Authorized Seed Supplier will ensure that the seeds imported locally or within State or within Country are clearly classified, segregated and stored separately based on seed type i.e. Industrial or medical or feminized or otherwise etc. Further, at the time of purchase of seeds, the authorized seed supplier shall mandatorily issue certificate of analysis pertaining to quality of seeds sold to the purchaser:

Provided further that the Authorized Seed Supplier shall keep all the records pertaining to the procurement of seeds and maintain accounts of seeds received, sold and held in stock from time to time in a register in Form CC-SR-1 and produce them before the Excise Officer and Agriculture Officer on demand. All the related licenses for authorized seed supplier shall be non-transferrable and non-saleable. In case of any violation, the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the relevant rules framed thereunder shall apply.

(2) Application for grant of license for cultivation: –

- (a) The area/ areas for cultivation of cannabis for industrial purpose shall be notified by the Agriculture Department. This area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. Any person intending to obtain license for cultivation under this Order in the notified areas may apply to

the concerned District Nodal Officer in Form CH-1 for cultivation of cannabis plant for industrial purposes on payment of License fee as specified in Schedule-I who shall further forward the application alongwith recommendations to the District Excise Officer who shall further forward the same to Collector (Excise) concerned alongwith recommendations. The Collector (Excise) shall, on receipt of application and recommendations from the District Excise Officer, grant the license for cultivation of cannabis for industrial purpose in form CH-2 on payment of such license fee as specified in Schedule-I appended to these rules subject to the fulfillment of following conditions:-

- (i) the landholding proposed for cultivation individually or collectively shall not be less than three acres in a geographically contiguous area. The limit of minimum area shall not apply to Government Departments and research institutes;
- (ii) the applicant shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the landholding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be cancelled immediately.
- (iii) the applicant shall submit copy of the purchase agreement with the manufacturer alongwith application for cultivator license. This agreement is required to safeguard the interest of cultivator and to ensure that a buy-back mechanism shall be in place beforehand so that the crop grown by the Cultivator mandatorily be purchased by the manufacturer. No stand-alone license shall be issued to the cultivator. Both the cultivator and manufacture licensee shall be jointly responsible for their activities/ operations. In case of any deviation from the terms and condition of the Cannabis rules, license shall be cancelled alongwith appropriate action as per the NDPS Act 1985 and rules thereof.
- (iv) the applicant cultivator shall submit the plan of the landholding alongwith its Global Positioning System (GPS) co-ordinates, Geo Tagging, designated area for warehouse alongwith the application;
- (v) the applicant shall have a warehouse in place prior to start of harvest cycle for storage of the harvest of the cannabis sown under the provisions of these orders, which satisfies the security measures as specified under these orders; and
- (vi) the applicant shall furnish a security of the amount in the shape of Fixed Deposited Receipt(FDR) pledged /Bank Guarantee in favor of District Excise Officer equivalent to the amount of annual license fee.

(b) No license for cultivation and harvesting of cannabis plant for industrial purposes shall be granted unless the applicant satisfies the following conditions: -`

- (i) (A) if the applicant is an individual or group or association of farmers, he shall be an agriculturist(s) or a lease holder;
(B) if the applicant is a cooperative society, it should be registered under the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968; and
(C) self-help group shall be of farmers of Himachal Pradesh;
- (ii) The applicant should not be convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.
- (iii) It should have an on-site or in-house testing facility approved by (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories to test the potency of the dried botanical material, or should have an arrangement with any authorized laboratory.
- (iv) The Collector (Excise) may, on the recommendations of the District Nodal Officer and District Excise Officer, grant or refuse a license to the applicant. In case of refusal to grant license, the Collector (Excise) shall record in writing the reasons for doing so.
- (v) The license shall be granted for a period of one year and can be renewed subject to the payment of renewal fee as specified in Schedule-I appended to these orders. This license shall be non-transferable and non-saleable. However, in the case of demise of license holder, the licensee may be allowed to be transferred to legal heir.
- (vi) In case of any violation, the provisions of the NDPS Act and the relevant rules framed thereunder shall apply.

(c) Authorized activities- Subject to the other provisions of this order, a holder of a license for cultivation shall be authorized to conduct all or part of the following activities under this order,-

- (i) Cultivation of Cannabis plant for industrial purposes in open but fenced area;
- (ii) Harvesting;
- (iii) Storage of produce in licensed warehouse; and
- (iv) Transportation of the produce from the licensed warehouse to the manufacturing or processing unit, in accordance with the procedure laid down under this order.

(d) Appointment of designated Excise Officer and responsible persons in charge:

- (i) (A) the District Excise Officer shall designate an Excise Officer not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer to oversee the cultivation of Cannabis plant for industrial purposes as per this order;

(B) The District Nodal Officer shall designate an appropriate officer to supervise the cultivation of cannabis plant for industrial purposes as per this order;
- (ii) Each licensed cultivator shall provide and furnish to the inspecting authorities mentioned in (i) (A) & (B) above all requisite transaction records, video and security camera recordings, logbooks and weights and measurement scales on request for inspection. The licensed cultivator shall inform the inspecting authorities about all current and ongoing developments with respect to the cultivation of Cannabis plant for industrial purposes and it shall be the duty of the inspecting authorities to conduct regular inspection at least once in 3 months of the licensed area and the warehouse and make reports on the same; and
- (iii) Each licensed cultivator may appoint a responsible person-in-charge to conduct requisite activities on his behalf. He shall inform the District Excise Officer about the appointment of such responsible person-in-charge who shall approve such appointment after conducting necessary enquiry. An identity card will be issued by the District Excise Officer to responsible person-in-charge who shall compulsorily carry the identity card during working hours. Such responsible person-in-charge should not be convicted of any offense involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.

(e) Measurement of area under Cannabis plant for industrial purposes cultivation and harvesting process:-

- (i) The applicant while applying for cultivator license shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the landholding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be cancelled immediately and then the action as warranted under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules framed thereunder shall be taken against the licensed cultivator;
- (ii) all measurements shall be carried out in metric units;
- (iii) the land details submitted by applicant shall be subject to cross check by the designated officer mentioned at (d) (i) (A) & (B) above at any time during the tenure of the license. In case of any discrepancy, suitable action to be taken as per provisions of NDPS, Act 1985 and Rules framed thereunder. Further, if required, the designated Excise officer may get the

land measurement verified by the Tehsildar or any other Revenue Officer duly authorized in this behalf.

- (iv) the licensed cultivator shall declare the details of the entire landholding on which Cannabis plant for industrial purposes has been cultivated by him within a fortnight after completion of the sowing process;
 - (v) after cultivation, but prior to harvesting, the licensee shall produce a self-certified undertaking confirming that he has cultivated the cannabis plant for industrial purposes in the licensed area only and has a warehouse in place alongwith relevant security features as defined under this order in the designated area and furnish the details of same to the concerned Assistant State Taxes & Excise Officer(ASTEO)/State Taxes & Excise Officer(STEO) who shall further make a report to the District Excise Officer ;
 - (vi) if the Assistant State Taxes and Excise Officer finds that the licensed cultivator has cultivated the cannabis plant for industrial purposes beyond the licensed area and has violated any of the applicable provisions, then the Assistant State Taxes and Excise Officer shall forward the case to the Collector (Excise)through District In-charge. The Collector (Excise) after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant and in case of any violation shall cancel the license immediately and also take action as per provisions of Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, Act, 1985 and Rules framed thereunder.
 - (vii) the licensed cultivator shall not harvest the produce of cannabis plants for industrial purposes unless information in this regard has been sent to the authorized Agriculture Officer and Excise Officer in writing at least twenty-one days before the harvest is to begin and written orders to that effect have been obtained from the District Excise Officer; and
- (f) Safety measures:-**The licensed cultivator shall ensure that the safety and security measures as provided below are complied with,-
- (i) there shall be proper fencing and Geo Tagging from all sides around the perimeter of the licensed area for cultivation and warehousing to ensure that there is no un-authorized access to the licensed premises;

- (ii) there shall be single entry or exit point to the licensed premises;
- (iii) cultivated area and warehousing area shall be clearly defined and warehousing shall be under proper revenue locks;
- (iv) the licensed cultivator shall maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed cultivation area;
- (v) the licensed cultivator shall maintain record of any attempted or actual unauthorized access to the site, which shall invariably contain among other things,-

(A) the date and time of the occurrence; and

(B) the measures taken in response to it and the date and time when they were taken; and

- (vi) any incidence attempted or actual access shall be reported by the licensed cultivator to the District Excise Officer within twenty four hours of occurrence of the incidence. The report shall include all necessary details of the incident as may be asked by the District Excise Officer who shall take action as per the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or this order.
- (vii) install any IT based system, surveillance cameras or CCTVs in the Cultivation area.
- (viii) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed cultivation area;

(g) Testing of THC in Cannabis plant for industrial purposes: The licensee shall inform the concerned District Excise Officer, thirty days prior to the harvesting of the Cannabis plants for industrial purposes for the analysis of THC who shall instruct the designated Excise Officer to collect the samples of the crop.

- (i) Recommended standard procedure shall be followed for collection of samples.
- (ii) The samples shall be sent to the institute approved by the State Government for the analysis of the THC in Cannabis plant for industrial purposes. The designated Excise Officer shall ensure special procedure for the confidentiality of the THC testing process.
- (iii) The designated Excise Officer shall submit a report in this regard to the District Excise Officer who shall subsequently issue the permission to the Licensee to harvest Cannabis plant for industrial purposes, if the maximum prescribed quantity of THC in the crop is less than or equal to 0.3 percent.

Provided that, if the quantity of THC exceeds the prescribed limit, the District Excise Officer shall grant permission to the applicant to

make fiber from the stem and branch of the crop while remaining parts of the plant (flower, leaves and seeds, etc.) shall be destroyed in presence of inspecting authorities.

- (iv) The expenses incurred for the analysis of THC in the samples of Cannabis plant for industrial purposes shall be deposited by the Licensee in the office of the District Excise Officer who shall pay the amount to the approved laboratory of the State Government for THC testing.
- (v) The authorized testing institute shall provide the report of the THC test within seven days from the receipt of the sample.

(h) Procedure for harvesting and weighing of Cannabis plant for industrial purposes (excluding Charas & Ganja) (green and dried Botanical Material):-

- (i) The licensed cultivator shall inform in writing to the designated Excise Officer at least twenty-one days prior to the harvest of Cannabis plants for industrial purposes crops. Harvesting shall be the complete removal of the plant from cultivated area for processing. It shall not include pruning, the partial removal of branches, stems, and portions of the plant in support of plant health, the removal of unusable plants due to pests, weather, or other events causing total plant failure.
- (ii) The licensed cultivator or his authorized person shall, during harvest time, maintain or cause to be maintained a record of each day's harvest of cannabis plants for industrial purposes, with weighment in Form CH-2A, taken for both green and dried botanical material.
- (iii) The licensed cultivator or his authorized person shall maintain record of the plant count, i.e. the numerical count of the individual cannabis plants for industrial purposes, the weight of the harvest and the weight of the green botanical material as well as that of the dried botanical material of every batch harvested in the presence of inspecting authorities.

(3) License for warehousing of cannabis plant for industrial purposes:-

The applicant while applying for Cultivator license shall mandatorily apply for warehouse license through District Nodal Officer who shall forward the application alongwith recommendations to District Excise Officer who shall further forward the same to the Collector (Excise) of the concerned Zone for grant of license for warehousing of cannabis plants for industrial purposes in Form CH-3 on payment of application fees specified in Schedule-I appended to this order. The Collector (Excise)

of the zone on recommendation of the aforesaid authorities may grant license in Form CH-4 for warehousing of cannabis plant for industrial purposes. The responsibility for safe custody of cannabis plant for industrial purposes shall lie entirely on the licensee. The licensed warehouse shall be located strictly inside the authorized cultivation area of cannabis plant for industrial purposes.

- (4) Safety and security of the premises-** The licensed cultivator shall,-(a) design the warehouse in such a manner that it prevents unauthorized access and maintain the record of people accessing the warehouse and the drawings of the warehouse shall be duly approved by the concerned Zonal Collector(Excise);
- (b) maintain the record of harvested cannabis plant for industrial purposes;
- (c) ensure that access to the site and warehouse is restricted to those individuals only whose presence in the area is required either by nature of their official duties or in connection with safety, sale or supervision of the produce;
- (d) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed warehouse; and
- (e) install any IT based system, surveillance cameras or CCTV in the premises
- (f) The licensee shall maintain conspicuously above the main out door of the licensed premises, a signboard exhibiting in painted letters:-
- (i) The words “Licensed premises for Cannabis plant for industrial purposes storage. Entrance strictly prohibited”
- (ii) Licensee name, contact details, period of license, GPS co-ordinates, No of CCTV cameras installed by him in Hindi or English or both
- (iii)The licensee shall display slogans or posters prominently as and when required by the Department of State Taxes & Excise

- (5) Monitoring of cultivation and warehousing: -** The following officers of the State Government are authorized to conduct inspections for monitoring the cultivation and warehousing of Cannabis plant for industrial purposes:
- (a) Officer of Department of State Taxes & Excise not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer
- (b) Officer of Department of Agriculture not below the rank of (SMS or other officer) as may be notified by the Department of Agriculture.
- (c) Officer of Police Department not below the rank of Dy. SP. who shall be accompanied by at least an officer of the State Taxes & Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer

- (d) Officer of Revenue Department not below the rank of Tehsildar who shall be accompanied by at least an officer of the State Taxes & Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer

(6) Manner of disposal of Cannabis plant for industrial purposes by the cultivator:-

Every cultivator who possesses license for cultivation of Cannabis plant for industrial purposes(excluding Charas & Ganja)under this order shall, after each harvest of Cannabis plant for industrial purposes, transfer the produce to the licensed warehouse authorized for the purpose as per the procedure specified in this order. He shall dispose of Cannabis plant for industrial purposes in the following manner,-

- (a) by selling the produce to a licensed manufacturer within the State provided that no such produce shall be transported to the manufacturer without the permit in form CH-T issued by District Excise Officer and pass in form CH-P issued by Assistant State Taxes and Excise Officer(ASTEO)/ State Taxes and Excise Officer (STEO); or
- (b) if the circumstances so warrant, by getting the same destroyed by following methods:
- (i) **Composting-** Conversion of plant waste into organic compost or mulch for agricultural or horticultural use.
 - (ii) **Anaerobic Digestion-** Processing of biomass to produce biogas or biofertilizer through controlled microbial digestion in the absence of oxygen.
 - (iii) **Bioprocessing-** Transformation of plant residues into industrial inputs such as fibreboard, insulation, or biofuels.
 - (iv) **Land Application-** Application of decomposed organic material to soil as a soil amendment, subject to environmental regulations.
 - (v) By getting the same destroyed by burning or otherwise.

The licensed cultivator shall give prior intimation to the District Excise Officer (Excise)in this regard who shall report to the Collector (Excise). The Collector (Excise) shall, on receipt of the recommendations from the District Excise Officer pass appropriate orders for destruction of that produce. The whole process of destruction shall be properly documented and video graphed. After the destruction, a report shall be submitted to the Collector (Excise)through the District Excise Officer.

- (7) Filing of returns-** Every licensed Cannabis plant for industrial purposes cultivator and warehousing licensee shall file returns within one month of completion of each crop cycle in the form appended to this order.

4. Production and manufacturing of Cannabis plant for industrial purposes products.-

The processing and manufacturing of Cannabis plants for industrial purposes products shall be subject to the following conditions:-

(1) License for processing or manufacturing of Cannabis plant for industrial purposes products-The applicant shall apply to the District Excise Officer who shall forward the application alongwith recommendations to Collector (Excise) of concerned zone who shall further forward the application alongwith recommendations to the Commissioner of State Taxes and Excise for grant of license for processing or manufacturing of cannabis plant for industrial purposes products in Form CH-5. The Commissioner shall, on receipt of application and recommendations from the Collector(Excise), grant the license for processing or manufacturing of cannabis product in form CH-M on payment of such license fee as specified in Schedule-I appended to this order subject to following conditions:-

- (a) the licensee shall submit security of Rs. five lakh in the shape of FDR pledged or Bank Guarantee in favor of the Commissioner of State Taxes and Excise;
- (b) the license shall be renewed annually on payment of renewal fee specified in Schedule-I appended to this order;
- (c) in each manufacturing unit, there shall be posted/ deputed an Assistant State Taxes and Excise Officer / STEO , in-charge of the unit;
- (d) all the cannabis plant for industrial purposes produce transported vide permit in Form CH-T, from the licensed warehouse to the processing or manufacturing unit, shall be delivered in the presence of Assistant State Taxes and Excise Officer , in- charge of unit authorized in this behalf. No consignment shall be received by the Excise Officer if it is not accompanied by the transport permit in form CH-T issued by the District Excise Officer and pass in form CH-P issued by the ASTEO / STEO in-charge of the warehouse;.
- (e) immediately on arrival of consignment at the manufacturing or processing unit, the Excise Officer shall verify the quantity of the cannabis plant for industrial purposes produce by way of weighment in the presence of the manager of the concerned unit or any other person authorized by the licensee in this regard;
- (f) all such Cannabis plant for industrial purposes produce so received shall be stored in a store-room known as “Cannabis plant for industrial purposes Store Room”. The Excise Officer in-charge of the manufacturing unit shall make necessary entries in the stock register;
- (g) for the purpose of extraction or use in the manufacturing process, only such quantity of the cannabis plant for industrial purposes produce shall be removed from the cannabis plant for industrial purposes store-room, in

respect of which written permission has been granted by the Excise Officer in-charge of the unit on application of the licensee. Necessary entries shall be made by the Excise Officer in the issue register as prescribed under the rules;;

- (h) all the finished products shall be transferred to the “Finished Goods Store” and the details of the same shall be provided to the Excise Officer on daily basis who shall record the quantity so transferred in the register as prescribed; and
- (i) the Cannabis plant for industrial purposes Store Room, Manufacturing or Processing Area, Finished Goods Store and Office of the Excise Officer shall be clearly demarcated in the licensed premises of the unit.
- (j) Minimum capital investment required for setting up of manufacturing unit in the State shall be Rs. 100 Crore.
- (k) A State cess/ levy @ 3% (2% towards milk cess/ levy and 1 % towards environment cess/ levy) of the annual turnover from cannabis and Cannabis plant for industrial purposes business shall be levied on manufacturing units. The proceed shall be transferred to the Animal Husbandry Department and Department of Environment, Science Technology & Climate Change, Himachal Pradesh.
- (l) All the related licensees shall be non-transferrable and non-saleable.
- (m) In case of any violation, the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the relevant rules framed thereunder shall apply.

(2) License for Cultivation of Cannabis plant for industrial purposes by

Manufacturing unit:- The area/ areas for cultivation of cannabis for industrial purpose shall be notified by the Agriculture Department. This area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring.

Any applicant having license in form CH-M intending to obtain license for cultivation under these orders in the notified areas may apply to the concerned District Nodal Officer in Form CH-MC-1 for cultivation of cannabis for industrial purpose who shall further forward the application alongwith recommendations to the District Excise Officer who shall further forward the application to Collector(Excise) concerned alongwith recommendations. The Collector (Excise) shall, on receipt of application and recommendations from the District Excise

Officer, grant the license for cultivation of cannabis for industrial purpose in form CH-MC-2 on payment of such license fee as specified in Schedule-I appended to these order subject to following conditions subject to the fulfillment of following conditions subject to the fulfillment of following conditions:-

- (a) the landholding proposed for cultivation individually or collectively shall not be less than three acres in a geographically contiguous area. The limit of minimum area shall not apply to Government Departments and research institutes;
- (b) The applicant shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the landholding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be canceled immediately.
- (c) The applicant shall submit copy of the purchase agreement with the manufacturer alongwith application for cultivator license. This agreement is required to safeguard the interest of cultivator and to ensure that a buy-back mechanism shall be in place beforehand so that the crop grown by the Cultivator mandatorily be purchased by the manufacturer. No stand-alone license shall be issued to the cultivator. Both the cultivator and manufacture licensee shall be jointly responsible for their activities/ operations. In case of any deviation from the terms and condition of the Cannabis rules, license shall be cancelled alongwith appropriate action as per the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rules thereof.
- (d) the applicant cultivator shall submit the plan of the landholding alongwith its Global Positioning System (GPS) co-ordinates, Geo Tagging, designated area for warehouse alongwith the application;
- (e) the applicant shall have a warehouse in place prior to start of harvest cycle for storage of the harvest of the cannabis sown under the provisions of these orders, which satisfies the security measures as specified under these orders; and
- (f) the applicant shall furnish a security of the amount in the shape of Fixed Deposited Receipt(FDR) pledged /Bank Guarantee in favor of District Excise Officer equivalent to the amount of annual license fee.
- (g) The applicant should not be convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.
- (h) It should have an on-site or in-house testing facility approved by (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories to test the potency of the dried botanical material, or should have an arrangement with any authorized laboratory as defined under this order.
- (i) The Collector (Excise) may, on the recommendations of the District Nodal Officer of the Department of Agriculture and District Excise Officer grant or

refuse to grant a license to the applicant. In case of refusal to grant license, the Collector (Excise) shall record in writing the reasons for doing so.

- (j) The license shall be granted for a period of one year and can be renewed subject to the payment of renewal fee as specified in Schedule-I appended to these orders. This license shall be non-transferable and non-saleable. However, in the case of demise of license holder, the licensee may be allowed to be transferred to legal heir.
- (k) In case of any violation, all the provisions of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, Act, 1985 and the relevant rules framed thereunder shall apply.
- (l) The licensed manufacturer who has applied for a cultivation license shall acquire and hold land for cultivation in Himachal Pradesh in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, and other applicable laws of the State.
- (m) **Authorized activities-** Subject to the other provisions of this order, a holder of a license for cultivation shall be authorized to conduct all or part of the following activities under this order,-
 - (i) Cultivation of Cannabis plants for industrial purposes in open but fenced area
 - (ii) Harvesting;
 - (iii) Storage of produce in licensed warehouse; and
 - (iv) Transportation of the produce from the licensed warehouse to the manufacturing or processing unit, in accordance with the procedure laid down under this order.
- (n) **Appointment of designated Excise Officer and responsible persons in charge:**
 - (i)(A) the District Excise Officer shall designate an Excise Officer not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer to oversee the cultivation of Cannabis plant for industrial purposes as per this order;
 - (B) The District Nodal Officer shall designate an appropriate officer to supervise the cultivation of cannabis plant for industrial purposes as per these orders;
 - (ii) each licensed cultivator shall provide and furnish to the inspecting authorities mentioned in (n) (i) (A) & (B) above all requisite transaction records, video and security camera recordings, logbooks and weights and

measurement scales on request for inspection. The licensed cultivator shall inform the inspecting authorities about all current and ongoing developments with respect to the cultivation of Cannabis plant for industrial purposes and it shall be the duty of the inspecting authorities to conduct regular inspection at least once in 3 months of the licensed area and the warehouse and make reports on the same; and

(iii) each licensed cultivator may appoint a responsible person-in-charge to conduct requisite activities on his behalf. He shall inform the District Excise Officer about the appointment of such responsible person-in-charge who shall approve such appointment after conducting necessary enquiry. An identity card will be issued by the District Excise Officer to responsible person-in-charge who shall compulsorily carry the identity card during working hours. Such responsible person-in-charge should not be convicted of any offense involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.

(o) Measurement of area under Cannabis plant for industrial purposes cultivation and harvesting process: -

- (i) The applicant while applying for cultivator license shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the landholding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be cancelled immediately and then the action as warranted under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules framed thereunder shall be taken against the licensed cultivator.
- (ii) all measurements shall be carried out in metric units;
- (iii) the land details submitted by applicant shall be subject to cross check by the designated officer mentioned at (n) (i) (A) & (B) above at any time during the tenure of the license. In case of any discrepancy, suitable action to be taken as per provisions of Narcotics Drugs Psychotropic Substances Act, 1985 and Rules framed thereunder. Further, if required, the designated Excise officer may get the land measurement verified by the Tehsildar or any other Revenue Officer duly authorized in this behalf.

- (iv) the licensed cultivator shall declare the details of the entire landholding on which Cannabis plant for industrial purposes has been cultivated by him within a fortnight after completion of the sowing process;
- (v) after cultivation, but prior to harvesting, the licensee shall produce a self-certified undertaking confirming that he has cultivated the cannabis plant for industrial purposes in the licensed area only and has a warehouse in place alongwith relevant security features as defined under this order in the designated area and furnish the details of same to the concerned Assistant State Taxes & Excise Officer(ASTEO)/State Taxes & Excise Officer(STEO) who shall further make a report to the District Excise Officer;
- (vi) if the Assistant State Taxes and Excise Officer finds that the licensed cultivator has cultivated the cannabis plant for industrial purposes beyond the licensed area and has violated any of the applicable provisions, then the Assistant State Taxes and Excise Officer shall forward the case to the Collector (Excise)through District In-charge. The Collector (Excise) after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant and in case of any violation shall cancel the license immediately and also take action as per provisions of NDPS Act, 1985 and Rules framed thereunder.
- (vii) the licensed cultivator shall not harvest the produce of cannabis plant for industrial purposes unless information in this regard has been sent to the authorized Agriculture Officer and Excise Officer in writing at least twenty-one days before the harvest is to begin and written orders to that effect have been obtained from the District Excise Officer; and

(p) Safety measures- The licensed cultivator shall ensure that the safety and security measures as provided below are complied with,-

- (i) there shall be proper fencing and Geo Tagging from all sides around the perimeter of the licensed area for cultivation and warehousing to ensure that there is no un-authorized access to the licensed premises;
- (ii) there shall be single entry or exit point to the licensed premises;
- (iii) cultivated area and warehousing area shall be clearly defined and warehousing shall be under proper revenue locks;
- (iv) the licensed cultivator shall maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed cultivation area;

- (v) the licensed cultivator shall maintain record of any attempted or actual unauthorized access to the site, which shall invariably contain among other things,-
 - (A) the date and time of the occurrence; and
 - (B) the measures taken in response to it and the date and time when they were taken; and
- (vi) any incidence attempted or actual access shall be reported by the licensed cultivator to the District Excise Officer within twenty four hours of occurrence of the incidence. The report shall include all necessary details of the incident as may be asked by the District Excise Officer who shall take action as per the Narcotics Drugs Psychotropic Substances Act, 1985 or this order.
- (vii) install any IT based system, surveillance cameras or CCTVs in the Cultivation area.
- (viii) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed cultivation area;
- (ix) **Testing of THC in Cannabis plant for industrial purposes:** The licensee shall inform the concerned District Excise Officer, thirty days prior to the harvesting of the Cannabis plant for industrial purposes for the analysis of THC who shall instruct the designated Excise Officer to collect the samples of the crop.
- (x) Recommended standard procedure shall be followed for collection of samples.
- (xi) The samples shall be sent to the institute approved by the State Government for the analysis of the THC in Cannabis plant for industrial purposes. The designated Excise Officer shall ensure special procedure for the confidentiality of the THC testing process.
- (xii) The designated Excise Officer shall submit a report in this regard to the District Excise Officer who shall subsequently issue the permission to the Licensee to harvest Cannabis plant for industrial purposes, if the maximum prescribed quantity of THC in the crop is less than or equal to 0.3 percent.

Provided that, if the quantity of THC exceeds the prescribed limit, the District Excise Officer shall grant permission to the applicant to make fiber from the stem and branch of the crop while remaining parts of the plant (flower, leaves and seeds, etc.) shall be destroyed in presence of inspecting authorities.

- (xiii) The expenses incurred for the analysis of THC in the samples of Cannabis plant for industrial purposes shall be deposited by the Licensee in the office of the District Excise Officer who shall pay the

amount to the approved laboratory of the State Government for THC testing.

- (xiv) The authorized testing institute shall provide the report of the THC test within seven days from the receipt of the sample.

(3) Procedure for harvesting and weighing of Cannabis plants for industrial purposes (excluding Charas & Ganja) (green and dried Botanical Material):-

- (a) The licensed cultivator shall inform in writing to the designated Excise Officer at least twenty-one days prior to the harvest of Cannabis plant for industrial purposes crops. Harvesting shall be the complete removal of the plant from cultivated area for processing. It shall not include pruning, the partial removal of branches, stems, and portions of the plant in support of plant health, the removal of unusable plants due to pests, weather, or other events causing total plant failure.
- (b) The licensed cultivator or his authorized person shall, during harvest time, maintain or cause to be maintained a record of each day's harvest of Cannabis plants for industrial purposes, with weighment in Form CH-2A, taken for both green and dried botanical material.
- (c) The licensed cultivator or his authorized person shall maintain record of the plant count, i.e. the numerical count of the individual cannabis plant for industrial purposes, the weight of the harvest and the weight of the green botanical material as well as that of the dried botanical material of every batch harvested in the presence of inspecting authorities.

(4) License for warehousing of cannabis plant for industrial purposes:- The applicant while applying for Cultivator license shall mandatorily apply for warehouse license through District Nodal Officer of Department of Agriculture who shall forward the application alongwith recommendations to District Excise Officer who shall further forward the same to the Collector (Excise) of the concerned Zone for grant of license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes in Form CH-MC-3 on payment of application fees specified in Schedule-I appended to this order. The Collector (Excise) of the zone on recommendation of the aforesaid authorities may grant license in Form CH-MC-4 for warehousing of cannabis plant for industrial purposes. The responsibility for safe custody of cannabis plant for industrial purposes shall lie entirely on the licensee. The licensed warehouse shall be located strictly inside the authorized cultivation area of cannabis plant for industrial purposes.

(5) Safety and security of the premises- The licensed cultivator shall,-

- (a) design the warehouse in such a manner that it prevents unauthorized access and maintain the record of people accessing the warehouse and the drawings of the warehouse shall be duly approved by the concerned Zonal Collector(Excise);

- (b) maintain the record of harvested cannabis plant for industrial purposes;
- (c) ensure that access to the site and warehouse is restricted to those individuals only whose presence in the area is required either by nature of their official duties or in connection with safety, sale or supervision of the produce;
- (d) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed warehouse; and
- (e) install any IT based system, surveillance cameras or CCTV in the premises
- (f) The licensee shall maintain conspicuously above the main out door of the licensed premises, a signboard exhibiting in painted letters:-
 - (i) The words “Licensed premises for cannabis plant for industrial purposes storage. Entrance strictly prohibited”
 - (ii) Licensee name, contact details, period of license, GPS co-ordinates, No of CCTV cameras installed by him in Hindi or English or both
 - (iii) The licensee shall display slogans or posters prominently as and when required by the Department of State Taxes & Excise

(6) Monitoring of cultivation and warehousing: - The following officers of the State Government are authorized to conduct inspections for monitoring the cultivation and warehousing of cannabis plant for industrial purposes:

- (a) Officer of Department of State Taxes & Excise not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer
- (b) Officer of Department of Agriculture not below the rank of (SMS or other officer) as may be notified by the Department of Agriculture.
- (c) Officer of Police Department not below the rank of Dy. SP. who shall be accompanied by at least an officer of the State Taxes & Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer
- (d) Officer of Revenue Department not below the rank of Tehsildar who shall be accompanied by at least an officer of the State Taxes & Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer

(7) Manner of disposal of cannabis plant for industrial purposes by the cultivator:-

Every cultivator who possesses license for cultivation of Cannabis plant for industrial purposes (excluding Charas & Ganja) under this order shall, after each harvest of cannabis plant for industrial purposes, transfer the produce to the licensed warehouse authorized for the purpose as per the procedure specified in this order. He shall dispose of Cannabis plant for industrial purposes in the following manner,-

- (a) by selling the produce to a licensed manufacturer within the State provided that no such produce shall be transported to the manufacturer without the Permit in

form CH-T issued by District Excise Officer and Pass in form CH-P issued by competent authority; or

(b) if the circumstances so warrant, by getting the same destroyed by following methods:

- (i) **Composting-** Conversion of plant waste into organic compost or mulch for agricultural or horticultural use.
- (ii) **Anaerobic Digestion-** Processing of biomass to produce biogas or biofertilizer through controlled microbial digestion in the absence of oxygen.
- (iii) **Bioprocessing-** Transformation of plant residues into industrial inputs such as fibreboard, insulation, or biofuels.
- (iv) **Land Application-** Application of decomposed organic material to soil as a soil amendment, subject to environmental regulations.
- (v) By getting the same destroyed by burning or otherwise.

The licensed cultivator shall give prior intimation to the District Excise Officer (Excise) in this regard who shall report to the Collector (Excise). The Collector (Excise) shall, on receipt of the recommendations from the District Excise Officer pass appropriate orders for destruction of that produce. The whole process of destruction shall be properly documented and video graphed. After the destruction, a report shall be submitted to the Collector (Excise) through the District Excise Officer.

(8) **Filing of returns-** Every licensed cannabis plant for industrial purposes cultivator and warehousing licensee shall file returns within one month of completion of each crop cycle in the form appended to this order.

(9) **Safety and security of the premises-** The licensed Manufacturing or Processing unit shall,-

- (a) design the site in such a manner that it prevents unauthorized access;
- (b) surround each site by a physical barrier that prevents unauthorized access;
- (c) arrange to monitor the perimeter of the site at all times by visual recording devices to detect any attempted or actual unauthorized access to the site. The devices shall, in the condition under which they are used, be capable of making a visual recording of any attempted or actual unauthorized access and illicit conduct;
- (d) secure the perimeter of the site by an intrusion detection system that operates at all times and that allows for the detection of any attempted or actual unauthorized access to the site and any attempted or actual tampering with the system. The intrusion detection system referred to above, shall be monitored at all times;

- (e) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the processing or manufacturing unit;
 - (f) maintain record of any attempted or actual unauthorized access to the site, which shall invariably contain among other things,-
 - (i) the date and time of the occurrence; and
 - (ii) the measures taken in response to it specifying the date and time when these were taken; and
 - (g) any unauthorized incidence of access attempted or actual access shall be reported to the District Excise Officer within twenty four hours of occurrence of the incidence. The report shall include all necessary details of the incidence as may be asked by the District Excise Officer who shall take action as per the provision of the Act and this order.
 - (h) The room(s) where the raw Cannabis plant for industrial purposes, Cannabis plant for industrial purposes product and Cannabis plant for industrial purposes oil shall bear the revenue lock of the department of State Taxes and Excise.
 - (i) The licensee shall maintain conspicuously above the main out door of the licensed premises, a signboard exhibiting in painted letters:-
 - (i) The words “Licensed premises for Cannabis storage. Entrance strictly prohibited”
 - (ii) Licensee name, contact details, period of license, GPS co-ordinates, No of CCTV cameras installed by him in Hindi or English or both
 - (iii) The licensee shall display slogans or posters prominently as and when required by the State Taxes & Excise Department.
- (10) Accounts to be maintained by manufacturing or processing unit:** -A licensed manufacturing or processing unit possessing cannabis plant for industrial purposes under this order shall, -
- (a) keep accounts of Cannabis plant for industrial purposes produce received, used and held in stock by it from time to time in a register maintained under this order. The accounts shall be written clearly, correctly and updated on daily basis in the register authenticated by the Excise Officer. All the transactions pertaining to purchase shall indicate all the data including date of purchase, value, name and the address of the licensed cultivator from whom the purchase has been made;
 - (b) books and records shall be maintained in such a manner that gives sufficient information for the verification of liabilities, obligations and compliance

under this order and for the license fees paid or the amount of any refund or rebate the person has claimed and received;

- (c) preserve the said accounts for not less than five years from the date of the last entry in the accounts book and shall produce them at the time of inspection by the Excise Officer, if demanded; and
- (d) furnish to the Excise Officer or any other officer duly authorized by him in this behalf, within a fortnight after the end of each financial year, any information regarding consumption of Cannabis plant for industrial purposes produce during the preceding year, the stocks held by him on the last day of the year in the form to be specified by the Commissioner of State Taxes and Excise under this order:

Provided that in addition to the accounts and records required to be maintained under this Order, the Commissioner of State Taxes and Excise may, by order, direct the maintenance of such records, in such form and submission of such returns as he may consider necessary for the purpose of this Order.

5. Permit & Pass for transportation of cannabis plants for industrial purposes produce:-

- (1) For procurement of Cannabis plants for industrial purposes produce under this order and its transportation any authorized person may apply to the District Excise Officer for grant of permit.
- (2) The District Excise Officer, after making such enquiries, as he considers necessary, may issue a permit in Form CH-T on payment of fees as specified in Schedule-I.
- (3) The permit holder shall obtain the cannabis plants for industrial purposes produce mentioned in his permit only from the licensed sources under this order.
- (4) Every consignment of cannabis plant for industrial purposes shall be accompanied by a pass in form CH-P issued by the concerned ASTEO/STEO in-charge of the warehouse.
- (5) All the transportation of cannabis plant for industrial purposes (excluding Charas & Ganja) shall be strictly through GPS enabled vehicle

6. Amendment of license:-Any holder of a license for processing/ manufacturing of cannabis plant for industrial purposes in form CH-M shall submit an application to the concerned authority through concerned District Excise Officer for an amendment to the license. The License granting authority shall after recording in writing the reasons for doing so pass appropriate orders. The License shall only be amended in respect of following changes:-

- (a) change in the address of the site or building within the site, where the activity is authorized; or
- (b) change in the name of proprietor, partner, director, club, society etc. as the case may be.

Provided that the holder of a license who proposes to make a change in the site plan that would require physical security measures to be carried out, shall obtain the approval of Commissioner of State Taxes & Excise before applying for making the said change.

7. Identification of holder of a license:- (1) A holder of a license shall include his name, as specified in the license, by which he shall identify himself in relation to cannabis plant for industrial purposes, including advertising, purchase orders, shipping documents and invoices.

- (2) The licensee shall submit identity proof in the form of Aadhar Card, PAN Card and Director Identification Number (DIN) issued by Ministry of Corporate Affairs wherever required.

8. Prohibition on cultivation, processing and manufacturing of cannabis plants for industrial purposes:- No person shall engage himself in the cultivation, processing, manufacturing of cannabis plants for industrial purposes except in accordance with the conditions of the license granted under this order.

9. Penalty provisions- (1) If any licensee under these rules fails to maintain the accounts and records (including timely filing of returns) as specified under these rules, he shall be liable, except as otherwise provided under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules framed there under, for penalty which shall not be less than Rupees twenty thousand subject to the maximum of Rupees fifty thousand.

- (2) The penalty under the foregoing provision of this rule shall be imposed by the Collector (Excise) after providing reasonable opportunity of being heard.

10. Fee on different cannabis plant for industrial purposes produce to be paid by the manufacturing or processing unit:-

- (1) The manufacturing or processing unit having license in Form CH-M before obtaining permit for procurement of cannabis plant for industrial purposes produce from the licensed warehouse to its own premises shall pay to the Government, procurement fee of Rupees ten per Kg on the procured raw or semi processed cannabis plant for industrial purposes produce.
- (2) Further, the manufacturing unit shall pay to the Government, a production Fee equal to fifteen percent of dutiable amount, on the production of oil from cannabis plant for industrial purposes and all other products from cannabis plant for industrial purposes, which shall be in addition to all other duties and levies as applicable under the law. This production fee shall be deposited into the Government treasury before the filing of monthly return for that particular month

11. Application for grant of license for research and analytical testing :- (1) Any individual or institution or Government department or private establishments or the licensee who has been granted license in Form CH-M for the processing or manufacturing of cannabis plant for industrial purposes products may apply for license in Form CH-6 for research and analytical testing, to the Commissioner of State Taxes and Excise through concerned Collector (Excise). The applicant shall satisfy the following conditions in order to be eligible for grant of this license,-

- (a) if the applicant is an individual, he should not have been convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any drug-related offence under any statute;
 - (b) the applicant should already be involved in the research work of similar type; and
 - (c) the applicant should also submit a copy of hypothesis to the Commissioner of State Taxes and Excise in respect of research work to be conducted.
 - (d) The area/ areas for cultivation of cannabis plant for industrial purposes for research and analytical testing shall be notified by the Agriculture Department. The area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. The cultivation of cannabis shall be strictly in the notified area/ areas only.
- (2) **Grant of license for research and analytical testing:-**The license shall be granted in Form CH-R on the payment of fees as specified in Schedule-I, by the

Commissioner of State Taxes and Excise for the purpose of scientific research and testing subject to the following conditions,-

- (a) This license shall be non-transferable and non saleable;
- (b) the licensee shall conduct his activities related to cultivation for research and testing only in accordance with the provisions of this order framed there under;
- (c) the area for cultivation of cannabis plant for industrial purposes for research and analytical testing should not be more than two thousand square meters;
- (d) the licensee shall maintain records of the consignments of cannabis plant for industrial purposes produced, procured and used for the purpose of research and testing;
- (e) the licensee shall destroy all samples of cannabis plant for industrial purposes of a lot or batch that have been distributed to them, and all cannabis plant for industrial purposes obtained from those samples, within ninety days after completing the testing of the samples, with prior approval of the Commissioner of State Taxes and Excise;
- (f) the licensee shall ensure that the site for cultivation, research and storage areas are surrounded by physical barrier that prevents un-authorized access;
- (g) the licensee shall abide by the provisions of this order. The license may be suspended or cancelled in case of any violation of this order; and
- (h) a holder of the license may conduct the following activities: -
 - (i) cultivate cannabis plant for industrial purposes (excluding Charas & Ganja);
 - (ii) possess cannabis plant for industrial purposes(excluding Charas & Ganja)
 - (iii)process cannabis plant for industrial purposes(excluding Charas & Ganja) ;
 - (iv)transport, send or deliver cannabis plant for industrial purposes(excluding Charas& Ganja)between the sites that are set out by the license; and
 - (v) produce cannabis plant for industrial purposes by altering its chemical or physical properties by any means for scientific or research purposes:
 - (vi)Provided that the sale of any produce/product in the possession of licensee in any manner shall not be permissible
 - (vii) In case of any violation, all provisions of the NDPS Act and the relevant rules framed thereunder shall apply.

12.Procedure for destruction of cannabis plants for industrial purposes products or produce-

- (1) When any cannabis plants for industrial purposes product or produce in possession of any licensed manufacturing or processing unit, authorized under this order, is found to be unfit for use, such unit shall forthwith deliver such product/produce to the authorized Excise Officer for destruction who shall report to the Collector (Excise) through the District Excise Officer. The Collector (Excise) shall, on receipt of report from the District Excise Officer constitute a Committee consisting of two Excise Officers and one Revenue Officer for destruction of that produce. The whole process of destruction shall be properly documented and video graphed. After the destruction, the Committee shall submit a report regarding the same to the Collector (Excise).

- (2) The Collector (Excise) may, on receipt of application from the licensed manufacturer who has paid procurement fee and production fee on the quantity of produce or products so destroyed, order for refund of such amount of procurement fee and production fee as may be determined by him :

13. Payment of production fee and filing of returns: Every cannabis plant for industrial purposes manufacturing or processing unit shall pay production fee on the cannabis plant for industrial purposes oil extracted during the month. He shall file monthly returns in prescribed form within thirty days of succeeding month wherein he shall submit details of his purchases, production and sale. A licensee who possesses more than one license shall file separate returns for each license.

14. REGULATIONS GOVERNING THE GRANT AND RENEWAL OF LICENSES:(1) Every license shall be granted to a certain licensee in respect of specified premises.

- (2) A license may only be granted to:-

- (a) an individual;
- (b) a body incorporated under the Indian Companies Act;
- (c) a society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act;
- (d) a partnership firm;
- (e) Hindu undivided family;
- (f) Lease holder
- (g) Government Department ; and
- (h) a Government Undertaking.

- (3) No license will be granted to an individual or in case of body corporate to any of its directors or partners if they have been convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.
- (4) When a license is granted to a Company or Society of Hindu undivided family or Government Department or Government Undertaking referred to in clause 2 above it must show the name of an individual as agent acting on behalf of the licensee, who is amenable in full to the Criminal Courts in India. On the application of the Company or Society or Hindu undivided family or Government Department or Government Undertaking, the representative licensee may be changed by the authority competent to grant or renew the license as the case may be.
- (5) When a license is granted to a partnership firm not incorporated under any Act, all the individuals comprising the partnership of firm shall be specified in the license.
- (6) In case of partnership, on the application in writing of all the original partners a partner may at any time be added or removed, by the authority competent to renew the license.
- (7) A license granted to a partnership firm becomes determinable by the dissolution of the partnership firm subject to the liability of the partners jointly and severally for any

loss caused to Government thereby and for the performance of all obligations to Government incurred by the partnership firm.

- (8) A license is said to be renewed when the competent authority allows it to continue after the period of its expiry to the same licensee in respect of the same premises; and whenever a license has become liable to be determined by reason of surrender, cancellation or non-renewal or other causes, or where it is proposed to issue a license in respect of premises or persons not previously licensed, a new license is required:

15. Possession, transportation etc. of cannabis plant for industrial purposes produce:-

Possession, transportation, inter-State import, inter-State export, purchase, consumption or use of cannabis plant for industrial purposes shall be subject to the following terms and conditions shall be as under: -

- (1) **Transportation by licensed cultivator:-**A licensed cultivator of cannabis plant for industrial purposes may transport his produce from the warehouse to the licensed manufacturer under this order after obtaining transport permit in Form CH-T from the District Excise Officer and pass in form CH-P issued by competent authority. The responsibility for safe custody of cannabis plant for industrial purposes during transportation shall lie entirely on the licensed cultivator. The District Excise Officer shall prepare the permit in quadruplicate. One copy shall be delivered to the applicant, second copy shall be sent to the office in-charge of the manufactory, the third copy shall be sent to the Excise Authority at the port or at the place where the Depot is situated as the case may be, and the fourth copy shall be retained by the District Excise Officer.
- (2) **Sale by licensed cultivator:-**No licensed cultivator shall dispose of harvested raw or semi processed cannabis plant for industrial purposes produce except as provided under this Order.
- (3) **Possession by an individual:-**For the purpose of transport, no person shall possess cannabis plant for industrial purposes produce in excess of the quantity which he has been authorized to transport, to be supplied to the licensed manufacturer or processor.
- (4) **Transport of cannabis plants for industrial purposes by a licensed manufacturing or processing unit:-**
- (a) The District Excise Officer may grant to any licensed manufacturing or processing unit a permit in Form CH-T appended to these rules for the transport of harvested cannabis plant for industrial purposes as specified in the permit.
- (b) While granting a permit under clause (1) the District Excise Officer shall prepare the permit in quadruple. The District Excise Officer shall prepare the permit in quadruplicate. One copy shall be delivered to the applicant, second copy shall be sent to the office in-charge of the manufactory, the third copy

shall be sent to the Excise Authority at the port or at the place where the Depot is situated as the case may be, and the fourth copy shall be retained by the District Excise Officer.

- (c) This permit for transport in favour of licensed manufacturing or processing unit in Form CH-T shall specify therein the names of the licensed cultivators of a particular District from where the harvested produce is proposed to be procured.
- (d) The permit issuing authority shall maintain a register in which complete record of permits, which have been issued by it, shall be maintained.
- (e) Every consignment of harvested cannabis shall be accompanied by a pass in form CH-P issued by ASTEO/ STEO in-charge of the warehouse. The ASTEO/ STEO in-charge of the warehouse shall prepare the pass in quadruplicate. One copy shall be delivered to the applicant, second copy shall be sent to the office in-charge of the manufactory, the third copy shall be sent to the Excise Authority at the port or at the place where the Depot is situated as the case may be, and the fourth copy shall be retained by the ASTEO/ STEO in-charge of the warehouse.

(5) Inspection of consignment in transit:-

Any officer of the State Taxes and Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer may, at any time, examine any consignment of cannabis in transit. If, on such examination, such officer finds that the quantity of cannabis in transit does not correspond to the terms and conditions of the permit & pass issued under these rules, the consignment shall be detained and reported to the Collector (Excise) who shall, after giving reasonable opportunity of being heard to the holder of the permit & pass, confiscate the same. Action taken under these terms and conditions shall not operate as a bar to the prosecution of the holder of permit & pass for commission of any offence under the NDPS Act, 1985 and the rules framed thereunder..

(6) Surrender, suspension and cancellation of License-The provisions with regard to the Surrender, suspension and cancellation of License as prescribed in Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 clause 33-A shall apply mutatis-mutandis to this order.

16.Exemption. – Nothing in the foregoing order shall apply to the purchase, possession or sale of cannabis plant for industrial purposes by the State Government.

- 17. Inspection of licensed premises:**-The provisions with regard to the inspection of licensed premises as prescribed in Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 clause 33-C shall apply *mutatis-mutandis* to this order.
- 18. Disposal of confiscated items or articles :-**All conveyances, articles or things other than a narcotic drug, confiscated under the Act or these rules except as otherwise provided under the Act, shall be disposed of by the Collector (Excise) or District Excise Officer in the manner to be specified by the Commissioner of State Taxes and Excise.
- 19. Appeal, revision and review:** - The provisions relating to appeal, revision and review as specified under the Himachal Pradesh Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 shall apply *mutatis-mutandis* with respect to this Order.
- 20. Realization of dues as arrears of land revenue:** -Any permit fee, license fee, penalty or any other dues payable under this Order may be recovered as arrears of land revenue under the provisions of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.
- 21. Compliance of the provision of the Act :** - The licensee and the permit holder shall comply with the provision of the Act, the rules framed there under and this orders. Non-compliance of any of the aforesaid provisions shall lead to an action against the licensee or the permit holder.
- 22. Restriction on personal use:** -The licensee and the permit holder shall neither use, consume, sell or transport any part of cannabis plant for industrial purposes other than the permitted part extracted from the cannabis plant for industrial purposes grown in his field nor shall he allow any other person to sell, use or consume the same. The licensee shall store, transport or dispose of any part of the plant grown in his field as per the provision of this Order.
- 23. Protection of action taken in good faith:** -No suit, prosecution or other legal proceedings shall be filed, made or initiated against the State Government or any officer of the State Government or any other person exercising any power or discharging any functions or duties, for anything done or intended to be done in good faith under the Act, rules framed thereunder or this Order made there-under.
- 24. Provision regarding constitution of authorities:** The provisions with regard to the State, District level review Committees and deployment of Staff as prescribed in Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 1989 clause 34-A to 34-C shall apply *mutatis-mutandis* to this order.

“Schedule –I”

Sr No	Type of license	Fees
1.	CH-2 (cultivators license) for cannabis plants <u>(excluding charas & ganja)</u> for industrial purposes	Rs.2,000/- per bigha
	Renewal Fees for cultivator License for cannabis plant for industrial purposes	Rs.2,000/- per bigha
2.	CH-4 (license for warehousing of cannabis plants <u>(excluding charas & ganja)</u> for industrial purposes	Rs 10,000/-
3.	CH-M (Manufacturing License) i.e. annual License for Processing/ Manufacturing of cannabis plant for industrial purposes <u>(excluding charas & ganja)</u>	Rs.10,00,000/-
	Renewal	Rs.10,00,000/-
	CH-MC-2 (Manufacturer Cultivation License) i.e. annual license for cannabis plant for industrial purposes cultivation <u>(excluding charas & ganja)</u> for industrial Purposes	Rs.10,00,000/- per bigha
	Renewal	Rs.10,00,000/- per bigha
	CC-MHC-4 (License for warehousing of Cannabis plant for industrial purposes <u>(excluding charas & ganja)</u>)	Rs.10,000/-
4.	CH-R (license for research and analytical testing of cannabis plant for industrial purposes) <u>(excluding charas & ganja)</u>	Rs 1,00,000/-
5.	CH-T (Transport permit for harvested cannabis plant for industrial purposes)	Rs 2000/-

25. After the newly inserted Schedule-1, the following forms shall be inserted, namely:-

Form CH-1

Application for license for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

To

The District Nodal Officer,

Department of Agriculture

District Name _____

Attested
Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

1. Name of Applicant.....
2. Father's name.....
3. Address
4. Detail of land on which cannabis plant for industrial purposes is to be cultivated
.....
5. Khasra and Khatauni No.....
6. Area of land alongwith GPS Coordinates.....
7. Detail of warehouse.....
8. Detail of license fee of Rs/- (Tr No, date and HIMGRN No).....
9. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce / by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Act, 1985 and the Orders issued thereunder.

Signature.....

Place.....

Name

Address.....

Date.....

Mobile No.....

Form CH-2

License for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

Register No.
Name of Licensee.....
S/o
R/o.....
State.....
Place.....
Tehsil.....
Distt.
Detail of land
Area of land
Khasra No.....
Khatauni No.....
GPS Coordinates.....

..... is granted license to cultivate cannabis plant for industrial purposes on payment of license fee of Rs. on the following terms and conditions:-

1. This license shall remain valid w.e.f. to
2. The license shall be non-transferable.
3. The licensee shall abide by the rules and regulations framed under the Act *ibid*.
4. The Collector (Excise) shall have the right to cancel the license under the clause 16 *ibid*.
5. The licensee shall neither use cannabis plant for industrial purposes or any part of it for personal use nor allow any other person to use any part of it.
6. He shall maintain proper records of his produce as per the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, rules and the Order made thereunder.
7. He shall not transport any part of its produce without valid transportation permit.
8. He shall not cultivate cannabis plant for industrial purposes in any field other than the licensed premises/field.
9. He shall strictly follow the safety measures as specified under the Order issued under the Act.

Date of Issue:

**Collector (Excise)
Issuing Authority**

FORM CH-2A

**RECORD OF HARVESTMENT OF CANNABIS PLANT FOR INDUSTRIAL PURPOSES
DATE WISE RECORDS OF GREEN BOTANICAL MATERIAL TO BE MAINTAINED BY THE LICENSED CULTIVATOR**

Batch No.	Date	Time	Weight in Kg	Remarks after inspection by designated Excise Officer, if any

**RECORDS OF DRIED BOTANICAL MATERIAL
TO BE MAINTAINED BY LICENSEE AFTER WEIGHMENTS BY DESIGNATED
EXCISE OFFICER**

Batch No.	Date	Time	Weight in Kg	Signature of Licensee authorized representative	Signature of the designated Excise Officer

Form CH- 3

Application for license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order 2026.

To

The District Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name _____

Sir/Madam,

Attested Photograph

Kindly issue license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order,2026.

1. Name of Applicant.....
2. Father's name.....
3. Address
4. Detail of warehouse in which cannabis plant for industrial purposes is to be stored
5. Khasra and Khatauni No.....
6. Area of land alongwith GPS Coordinates.....
7. Detail of license fee of Rs/- (Tr No, date and HIMGRN No).....
8. Detail of cultivator license (License No and Date on which issued).....

Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any cases is pending against him in any Court of Law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce/ by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, rules and Order issued thereunder.

Signature.....

Place.....

Name

Address.....
.....

Date.....

Mobile No.....

Form: CH-4

License for storage/warehouse of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

Register No.

Name of Licensee.....

License number in form CH-2.....

Detail of the premises where cannabis plant for industrial purposes is stored for further sale and

transportation.....

.....

Sh.

S/o

R/o.....is granted license for wholesale storage of cannabis plant for industrial purposes on the following terms and conditions:-

1. This license shall remain valid w.e.f. to
2. License shall be non-transferable.
3. The licensee shall abide by the rules and regulations and Order issued under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
4. He shall neither use any part of stored cannabis plant for industrial purposes himself nor allow other persons to use any part of it.
5. The licensee shall not transfer any part of cannabis plant for industrial purposes to other licensee unless permission has been granted by the Collector (Excise) in this regard.
6. The licensee shall maintain proper record and register of the stock lying in the licensed premises.
7. The licensee shall keep standard instruments for weight and measurement.
8. The license may be cancelled by the Collector (Excise) in case of any violation of the Act, rules and order issued thereunder.

Date of Issue:

**Collector (Excise)
Issuing Authority**

Form CH-5

Application for license for processing or manufacturing of cannabis plant for industrial purposes products under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order,2026

To

The Commissioner of State Taxes and Excise
Himachal Pradesh

Attested
Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for the processing or manufacturing of cannabis plant for industrial purposes products under Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

1. Name and Designation of Applicant
2. Father's name.....
3. Name of Unit
4. Address.....
5. Detail of license fee of Rs/- (Tr No, date and HIMGRN No).....
6. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to process and dispose off the produce / by products as per the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, rules and order issued thereunder.

Signature.....

Place.....

Name

Address.....

.....

.....

Date.....

Mobile No.....

Form: CH-M

License for manufacturing or processing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

Register No.

Name of Licensee.....

Address.....

The License in Form CH-M is granted to..... to process and manufacture cannabis plant for industrial purposes products in accordance with the following terms & conditions:-

1. The license is non-transferable.
2. The licensee shall ensure safety and security of the premises as laid down in this Order.
3. He shall procure and transport cannabis plant for industrial purposes only from the licensed cultivator after having obtained permit in form CH-T from the Collector (Excise).
4. He shall abide by the rules, regulations and Order issued under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
5. The license may be cancelled by the Excise Commissioner in case of any violation of the provisions of the rules, regulations and Order issued under the Act after affording reasonable opportunity of being heard.
6. He shall strictly follow the safety and security measures as specified in this Order.

Date of Issue:

**Commissioner of State Taxes and Excise
Issuing Authority**

Form CH-MC-1

Application for license for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

To

The District Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name _____

Attested
Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

1. Name of Applicant.....
2. Father's name.....
3. Address
4. Detail of land on which cannabis plant for industrial purposes is to be cultivated
5. Khasra and Khatauni No.....
6. Area of land alongwith GPS Coordinates.....
7. Detail of warehouse.....
8. Detail of license fee of Rs/- (Tr No, date and HIMGRN No).....
9. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce / by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Act, 1985 and the Orders issued thereunder.

Signature.....

Place.....

Name

Address.....

Date.....

Mobile No.....

Form CH-MC-2

License for cultivation of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

Register No.

Name of Licensee.....

S/o

R/o.....

State.....

Place.....

Tehsil.....

Distt.

Detail of land

Area of land

Khasra No.....

Khatauni No.....

GPS Coordinates.....

..... is granted license to cultivate cannabis plant for industrial purposes on payment of license fee of Rs. on the following terms and conditions:-

1. This license shall remain valid w.e.f. to
2. The license shall be non-transferable.
3. The licensee shall abide by the rules and regulations framed under the Act *ibid*.
4. The Collector (Excise) shall have the right to cancel the license under the clause 16 *ibid*.
5. The licensee shall neither use cannabis plant for industrial purposes or any part of it for personal use nor allow any other person to use any part of it.
6. He shall maintain proper records of his produce as per the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, rules and the Order made thereunder.
7. He shall not transport any part of its produce without valid transportation permit.
8. He shall not cultivate cannabis plant for industrial purposes in any field other than the licensed premises/field.
9. He shall strictly follow the safety measures as specified under the Order issued under the Act.

Date of Issue:

**Collector (Excise)
Issuing Authority**

Form CH-MC-3

Application for license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order 2026.

To

The District Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name _____

Sir/Madam,

Attested Photograph

Kindly issue license for warehousing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order,2026.

1. Name of Applicant.....
2. Father's name.....
3. Address
4. Detail of warehouse in which cannabis plant for industrial purposes is to be stored
5. Khasra and Khatauni No.....
6. Area of land alongwith GPS Coordinates.....
7. Detail of license fee of Rs/- (Tr No, date and HIMGRN No).....
8. Detail of cultivator license (License No and Date on which issued).....

Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any cases is pending against him in any Court of Law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce/ by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, rules and Order issued thereunder.

Signature.....

Place.....

Name

Address.....

.....

.....

Date.....

Mobile No.....

Form CC-MHC-4

License for storage/warehouse of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

Register No.

Name of Licensee.....

License number in form CH-MC-2.....

Detail of the premises where cannabis plant for industrial purposes is stored for further sale and transportation.....

.....

Sh.

S/o

R/o.....is granted license for wholesale storage of cannabis plant for industrial purposes on the following terms and conditions:-

1. This license shall remain valid w.e.f. to
2. License shall be non-transferable.
3. The licensee shall abide by the rules and regulations and Order issued under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
4. He shall neither use any part of stored cannabis plant for industrial purposes himself nor allow other persons to use any part of it.
5. The licensee shall not transfer any part of cannabis plant for industrial purposes to other licensee unless permission has been granted by the Collector (Excise) in this regard.
6. The licensee shall maintain proper record and register of the stock lying in the licensed premises.
7. The licensee shall keep standard instruments for weight and measurement.
8. The license may be cancelled by the Collector (Excise) in case of any violation of the Act, rules and order issued thereunder.

Date of Issue:

**Collector (Excise)
Issuing Authority**

Form CH-6

Application for research and analytical testing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

To

**The District In-Charge ,
District**

Attested
Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for the research and analytical testing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

1. Name of Applicant/Institute/processing unit
2. Father's name (if individual)
3. Address
4. Detail of license fee of Rs/- (Tr No, date and HIMGRN No).....
5. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible for conducting research as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 , rules and order made thereunder (Applicable in case applicant is an individual).
6. Copy of hypothesis to be filed by the applicant.

Signature.....

Place.....

Name

Address.....

.....

Date.....

Mobile No.....

Form CH-R

License for research and analytical testing of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Order, 2026.

Register No.

Name of Licensee.....

Address of the premises

license for research and analytical testing of the cannabis plant for industrial purposes is granted to.....as per the following terms and conditions:-

1. This license shall be valid w.e.f. to
2. This license shall be non-transferable.
3. The licensee shall conduct his activities related to cultivation for research and testing only in accordance with the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 , rules and order framed there under.
4. The licensee shall maintain records of the consignments of cannabis plant for industrial purposes produced, procured and used for the purpose of research and testing.
5. The licensee shall destroy all samples of cannabis plant for industrial purposes of a lot or batch that have been distributed to them, and all cannabis plant for industrial purposes obtained from those samples, within ninety days after completing the testing of the samples, with prior approval of the Collector (Excise).
6. The Licensee shall ensure that there is no un-authorized access in the research area.
7. The license may be suspended or cancelled by the Collector (Excise) in case of any violation of the above act, rules and rules framed there under.

Date of Issue:

**Commissioner of State Taxes and Excise, HP
Issuing Authority**

Form CH-T

Permit for transportation of cannabis plant for industrial purposes (to be filed in quadruplicate)

Sr. No.....

Date.....

Name and address of consigner(s).....

Name and address of consignee(s).....

Sh..... is authorized to transport cannabis plant for industrial purposes from.....to, as per following details:

Detail of Vehicle.....

Detail of consignment being transported

.....

.....

.....

.....

Route of transportation

Number of bundles/packages.....

Total Quantity required

This permit is being issued under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Order, 2026on the following terms and conditions:-

1. The consignment shall not be opened in the course of transportation.
2. The permit shall be valid w.e.f.to
3. Any violation of the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, rules and order issued hereunder shall invite/warrant action under the said Act and rules and Order issued there under.

Date of issue:

**Deputy Commissioner of State Taxes & Excise
District In-charge,
Issuing Authority**

Form CH-P

Pass for transportation of cannabis plant for industrial purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 .

(to be filed in quadruplicate)

Sr. No.....

Date.....

Name and address of consigner(s).....

Name and address of consignee(s).....

Sh..... is authorized to transport cannabis from.....to
....., as per the following details:

Detail of Vehicle.....

Detail of Permit

Detail of consignment being transported

.....

.....

.....

.....

Route of transportation

Number of bundles/packages.....

Total weight at the time of dispatch.....

This pass is being issued under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Rules, 1989 on the following terms and conditions:-

1. The consignment shall not be opened during the course of transportation.
2. The pass shall be valid w.e.f.to
3. Any violation of the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules ibid shall invite/warrant action under the said Act and rules.

Date of Issue:

**ASTEO/ STEO ,In-charge
Issuing Authority**

By Order

Secretary (State Taxes and Excise) to the
Government of Himachal Pradesh.